चकबन्दी कर्मियों के लिए हस्तपुस्तिका

Handbook For Consolidation Practitioners

चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश

2017

चकबन्दी कर्मियों के लिए हस्तपुस्तिका

Handbook For Consolidation Practitioners

चकबन्दी विभाग, उत्तर प्रदेश
2017

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
	खण्ड - क	
1.	एडिटोरियल बोर्ड के गठन का कार्यालय ज्ञाप	03
2.	प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रियाओं में गुणात्मक सुधार हेतु 22 सूत्रीय निर्देश	04
3.	चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी कर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी की दिनचर्या बही के सम्बन्ध में	08
4.	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के सम्बन्ध में निर्देश	11
5.	नीलाम प्रमाणपत्र/सरकारी पट्टेदारों के अवैध नामान्तरणों को रोकने तथा धारा-48 व 52(2) सपठित नियम 109 क के अधीन वादों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निर्देश	14
6.	अधिकारीवार वादों के निस्तारण की प्रगति प्रसूचना के सम्बन्ध में	17
7.	ग्राम के सिद्धान्तों के विवरण से सम्बन्धित वादों की सुनवाई एवं निस्तारण किये जाने तथा स्थल निरीक्षण ज्ञाप तैयार किये जाने एवं कब्जा परिवर्तन के उपरान्त ग्राम को प्रत्यावर्तित न किये जाने के सम्बन्ध में	19
8.	उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-8 सपठित उ0प्र0 जोत चक0 नियमावली के नियम 19 एवं 20 के अन्तर्गत चालू वार्षिक रजिस्टर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	22
9.	प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया के सर्वे तथा चक निगरानी आदेशों में गुणात्मक सुधार के सम्बन्ध में समुचित निर्देश	24
	खण्ड - ख	
	भाग - 1	
10.	नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन से सम्बन्धित प्राविधान	29
	भाग - 2	
11.	चक सृजन एवं चकबन्दी योजना का पुष्टिकरण तथा चकों पर कब्जा परिवर्तन से सम्बन्धित प्राविधान	55
	भाग - 3	
12.	अंतिम अभिलेख का निर्माण एवं धारा-52 (1) के प्रकाशन के बाद धार-52 (2) के प्रावधान में पारित आज्ञाओं/आदेशों का अनुपालन से सम्बन्धित प्राविधान	69

खण्ड-क

कार्यालय चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 3973 /जी०-415/2009-10 दिनांक, 18 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

चकबन्दी प्रक्रिया को सरल, सुचारू व पारदर्शी ढंग से चलाने एवं सम्पादित करने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अधिनियम, नियमावली तथा मैनुअल के प्राविधानों को समेकित कर चकबन्दी कार्मिको के उपयोगार्थ हस्तपुस्तिका का प्रारूप तैयार कराने हेतु एडिटोरियल बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

1.	डॉ० रजनीश दुबे, चकबन्दी आयुक्त उ०प्र०	अध्यक्ष
2.	श्री आर० के० दुबे, संयुक्त संचालक चकबन्दी मुख्यालय	सदस्य
3.	श्री पुनीत शुक्ला, उप संचालक चकबन्दी मुख्यालय	सदस्य
4.	श्री तरूण कुमार मिश्रा, उप संचालक चकबन्दी उन्नाव	सदस्य
5.	श्री आलोक कुमार सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उन्नाव	सदस्य
6.	श्री परवेज अख्तर अंसारी, चकबन्दी अधिकारी, मुख्यालय	सदस्य

उक्त एडिटोरियल बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में दिनांक 31.10.2017 के पूर्व उक्त हस्तपुस्तिका का प्रारूप तैयार कराकर मय संस्तुति के साथ प्रस्तुत करें। बोर्ड की बैठक दिनांक 24.10.2017 को प्रातः 11.00 बजे चकबन्दी निदेशालय पर आहूत की गयी है।

(डॉ० रजनीश दुबे),
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्त एडिटोरियल बोर्ड की बैठक में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

1. श्री आर० के० दुबे, संयुक्त संचालक चकबन्दी मुख्यालय।
2. श्री पुनीत शुक्ला, उप संचालक चकबन्दी मुख्यालय।
3. श्री तरूण कुमार मिश्रा, उप संचालक चकबन्दी उन्नाव।
4. श्री आलोक कुमार सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उन्नाव।
5. श्री परवेज अख्तर अंसारी, चकबन्दी अधिकारी, मुख्यालय।

(रवीन्द्र कुमार दुबे).
संयुक्त संचालक चकबन्दी
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी, उ0प्र0।
2. समस्त उप संचालक चकबन्दी, उ0प्र0।
3. समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उ0प्र0।
4. समस्त चकबन्दी अधिकारी / सहायक चकबन्दी अधिकारी, उ0प्र0।

संख्या :- 3445 / जी-415 / 2012-13 दिनांक 06 सितम्बर, 2017

विषय :- प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रियाओं में गुणात्मक सुधार हेतु 22 सूत्रीय निर्देश।

महोदय,

प्रदेश में चल रही चकबन्दी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता व गुणात्मक सुधार लाने हेतु मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 23.08.2017 व 24.08.2017 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं, जिनका प्रत्येक स्तर पर अक्षरशः अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं :-

1- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-3(2-कक) सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम-3क में चकबन्दी कमेटी के संघटन के सम्बन्ध में प्राविधान दिये गये हैं। उक्त प्राविधानों में निम्न अनिवार्यतायें हैं -

क- चकबन्दी समिति के सदस्य भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों में से चुने जायेंगे।

ख- सदस्यों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होगी।

ग- कटक के अन्तर्गत खेती करते हों।

घ- भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष यदि चकबन्दी समिति का सदस्य निर्वाचित होता है, तो वह चकबन्दी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा अन्यथा समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

उक्त प्राविधानों का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक है।

2- सहायक चकबन्दी अधिकारी / चकबन्दी अधिकारी / बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष चल रही किसी वाद की कार्यवाही में चकबन्दी समिति के अध्यक्ष / ग्राम प्रधान को व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार ग्राम सभा की भूमि में किसी परिवर्तन / स्थान परिवर्तन, सिद्धान्तों के विवरण पत्र में जो भूमि चकबन्दी समिति के परामर्श से आरक्षित की जा चुकी है, उस आरक्षण को परिवर्तित करने अथवा उसको बढ़ाने आदि में व्यक्तिगत रूप से चकबन्दी समिति के अध्यक्ष / ग्राम प्रधान का कोई अधिकार नहीं है। अतः यह देखा जाना चाहियें कि ग्राम प्रधान किसी वाद की कार्यवाही अथवा आरक्षण सम्बन्धी किसी प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से कोई

समझौता/प्रस्ताव प्रस्तुत न करें। उत्तर प्रदें राजस्व संहिता, 2006 की धारा-62(2) में स्पश्ट प्राविधान है कि भूमि प्रबन्धक समिति के किसी संकल्प (Resolution) पर उपजिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त ही ऐसा कर सकते हैं।

3- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6क सपठित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-17क में निर्विवाद उत्तराधिकार तथा बैनामे के आधार पर निर्विवाद नामांतरण के प्राविधान है। यह कार्यवाही धारा-9 के अन्तर्गत उत्तराधिकार/विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण के पूर्व की जाती है। किसी कृषक की मृत्यु होने के 13 दिन के अन्दर चकबन्दी लेखपाल को चाहिये कि वह उत्तराधिकार निर्धारण सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्राप्त कर चकबन्दी कर्ता से वरासत का आदेश करा लें।

निर्विवाद नामांतरण के सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी को चाहिये कि वह विक्रय पत्र की प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों भीतर नामांतरण निर्विवाद होने की दशा में अवश्य आदेश पारित कर दें। बैनामे के आधार पर अंतरण का आदेश पारित करते समय यह अवश्य देखा जाये कि भूमि में विक्रेता का अंश क्या था, उसकी जाति (राजस्व संहिता, 2006 की धारा-98, 99) क्या थी, क्या नाबालिग की जमीन अथवा धार्मिक ट्रस्ट की जमीन तो नहीं बेची गई है। इस सम्बन्ध में सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी कर्ता से रिपोर्ट प्राप्त कर लें। साथ ही इस सम्बन्ध में हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा-6 एवं 8 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-88 के प्राविधानों के अनुसार भी कार्यवाही की जाये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि 12.5 एकड़ से कम भूमि होने का शपथपत्र भी क्रेता से प्राप्त कर लिया जाये तथा अद्यतन देय भू-राजस्व की धनराशि जमा हो गयी हो यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि विदेशी नागरिक को राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना किसी भूमि को अर्जित करने का अधिकार नहीं होगा। जैसा कि राजस्व संहिता, 2006 की धारा-90 में प्रावधान है।

4- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-19ख में यह स्पश्ट प्रतिबन्ध है कि किसी खातेदार को प्रस्तावित चक में प्रदिष्ट भूमि और उसकी मूल जोत के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी बेशी नहीं होगी। अतः सहायक चकबन्दी अधिकारी अथवा उसके आगे के स्तरों पर यदि प्रस्तावित चक के प्रदिश्ट क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी हो रही है तो उसे अधिक मालियत की भूमि प्रदिष्ट नहीं की जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी खातेदार को प्रदिष्ट क्षेत्रफल में मूल जोत से 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है तो कम मालियत की भूमि पर चक प्रदिष्ट नहीं किया जायेगा।

5- किसी भी चक आपत्ति/चक अपील/चक निगरानी को 30 दिन के अन्दर निस्तारित करने का प्रयास किया जाये तथा एक ग्राम की समस्त नियमित चक आपत्ति/चक अपील/चक निगरानी को एक ही साथ सुनवाई व निस्तारित करने का प्रयास किया जाये।

6- The Standards of Weights and Measures Enforcement Act के द्वारा मीट्रिक प्रणाली के प्रयोग का प्राविधान किया गया है। अर्थात् वर्गमीटर, हेक्टयर का प्रयोग हो। इस प्राविधान का पालन सुनिश्चित किया जाये। चकबन्दीकर्ता जब पैमाइश करते हैं तो आधार वर्ष खसरे में अंकित क्षेत्रफल में कमी या बेशी का गोशवारा जोत चकबन्दी मैनुअल के पृष्ठ-32 के प्रस्तर 102 के अनुसार अंकित किया जाना चाहिये। क्षेत्रफल के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में आपत्ति करने पर रकबा बन्दोबस्ती क्षेत्रफल से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा। ऐसी स्थिति में आधार वर्ष खतौनी व पिछले बन्दोबस्त में अंकित रकबे को बढ़ना नहीं चाहिये।

7- आधार वर्ष खतौनी व पिछले बन्दोबस्त में सार्वजनिक उपयोग के मद में अंकित भूमि में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने

का प्राविधान है। इस प्राविधान का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिये। इसी प्रकार किसी प्राइवेट स्कूल/प्राइवेट शिक्षण संस्थान के लिये भूमि आरक्षित नहीं की जायेगी तथा किसी प्राइवेट स्कूल के नाम से खेल का मैदान नहीं छोड़ा जायेगा।

8- सहायक चकबन्दी अधिकारी/चकबन्दी अधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी को कोई आख्या प्रेषित की जाये तो उसमें ग्राम के धारा-4 के अन्तर्गत प्रकाशन का दिनांक, कार्य का वर्तमान स्तर, यदि ग्राम के धारा-52 का प्रकाशन हो गया तो धारा-52 के प्रकाशन का दिनांक का स्पष्ट उल्लेख आख्या में किया जाना चाहिये।

9- सभी चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व उप संचालक चकबन्दी, जो भी जांच आख्या लिखेंगे/निर्णय करेंगे उसके प्रारम्भ में उपस्थित पक्षकारों तथा पीठासीन अधिकारी व उसके न्यायालय का नाम तथा आख्या/निर्णय के अंत में अपना पूर्ण हस्ताक्षर, नाम व पद अवश्य अंकित करेंगे।

10- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-65 के प्रावधान में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को सहायक चकबन्दी अधिकारी के क्षेत्र में स्थित गांव को बदलने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार जोत चकबन्दी अधिनियम के धारा-42(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी को प्राप्त है।

11- जोत चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद-5 अन्तर्गत उल्लिखित प्रस्तर-102 के प्रावधान के अनुसार गाटों में खसरों के क्षेत्रफल में मौके के कमी-बेशी की सात कॉलम का टेबल गाटावार बनायी जाये।

12- जोत चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद-17 के प्रस्तर-420 में स्पष्ट प्रावधान है कि अन्तिम अभिलेखों की तैयारी का दायित्व चकबन्दी अधिकारी का होगा तथा प्रस्तर-423 में गांव सभा/सार्वजनिक भूमि की जांच स0च0अ0/च0अ0 द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स0च0अ0/च0अ0/ब0अ0च0 यह सुनिंचित करेंगे कि ग्राम सभा या सार्वजनिक भूमि को कोई क्षतिकारित नहीं हुई।

13- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-108 में ऐसे व्यक्ति के बारे में विधिक उपधारणा का प्रावधान है कि जिसके जीवित होने के सम्बन्ध में सात वर्श से कुछ नहीं सुना गया है। ऐसे व्यक्ति को सिविल मृत्यु घोषित करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है।

14- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 अचल संपत्ति के सभी अन्तरण चाहे समझौता हो, या विक्रय विलेख, पंजीकृत एवं सम्यक रूप से स्टॉम्पित होने चाहिए।

15- जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-5(ग) के अन्तर्गत कृशि से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए भूमि का प्रयोग करने की अनुमति देते समय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को सतर्कता रखनी चाहिए। यदि सहस्वामी हो तो सहस्वामियों के अनापत्ति के उपरान्त निर्णय किया जाये।

16- स्वत्व के मुकदमों में गांव सभा/राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार बनाया जाये।

17- उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-9(क) एवं धारा-11 के अन्तर्गत मूल्यांकन की आपत्ति/अपील का निस्तारण अन्दरमियाद चकबन्दी समिति को सूचना देकर तथा स्थल का स्थानीय निरीक्षण करके किया जाये। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-26(5) भी अवलोकनीय है।

18- उप संचालक चकबन्दी कब्जा परिवर्तन के पूर्व चक से सम्बन्धित निगरानियों की सुनवाई/निस्तारण न करें तथा किसी भी चक निगरानी में स्थल पर स्थगन या यथा स्थिति का आदेश पारित न करें। ताकि कब्जा परिवर्तन की

कार्यवाही विधिक/व्यवहारिक स्थिति से बाधित न हो।

19- जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(2) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि धारा-6(1) के अन्तर्गत ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करने की विज्ञप्ति जारी होने पर चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित हक से सम्बन्धित अन्तिम आज्ञायों का अनुपालन तहसील के नवनिर्मित अभिलेखों में किया गया जायेगा। चकबन्दी प्राधिकारी अन्तिम आज्ञायों की सूची तैयार कर तहसील में उपलब्ध कराने वाले अभिलेखों के साथ उपलब्ध करायेंगे। इस सम्बन्ध में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद से भी पत्राचार करके अनुरोध कर लिया जाये कि उक्त आशय का परिषद आदेश निर्गत कर दिया जाये।

20- यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ ग्रामों का कब्जा परिवर्तन किये बिना ही धारा-52 के अन्तर्गत प्रकाशन कर दिया गया है। यह घोर आपत्तिजनक है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये कि कब्जा परिवर्तन के पश्चात ही ग्राम को धारा-52 के प्रकाशन का प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जाये।

21- चक निर्माण के समय सहायक चकबन्दी अधिकारी किसी भी चक में किसी गाटे के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का प्रदिष्टीकरण नहीं करेंगे और इस प्रकार भविष्य में डबल प्रदिष्टीकरण के कारण उत्पन्न मुकदमों की जटिलताओं से चकदारों के धन व समय तथा चकबन्दी के उच्चाधिकारियों के समय की बचत होगी।

22- बकदर हिस्सा या सम्पूर्ण सहखातेदारी क्षेत्रफल/भाग के विक्रय करने का विक्रय पत्र आता है तो लेखपाल/चकबन्दीकर्ता उसका क्षेत्रफल हे0/वर्गमी0 करके ही आख्या सहायक चकबन्दी अधिकारी/चकबन्दी अधिकारी को देंगे एवं उसी के अनुसार ही नामान्तरण आदेश स्पष्ट क्षेत्रफल व स्पष्ट भू-राजस्व (रूपयों में) किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व विभाग।
2. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

(पुनीत शुक्ला)
उप संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

सेवा में,

समस्त-

1. जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी,

   उत्तर प्रदेश।

2. उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

3. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

4. चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,

   उत्तर प्रदेश।

संख्याः 4123/जी0-415/2009-10 दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017

विषयः चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनचर्या बही रखा जाना एवं नियमित समीक्षा किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चकबन्दी प्रक्रिया एक निर्धारित नियोजित कार्यक्रम है, जिसका क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करते हुए कार्य का सम्पादन किया जाता है। परन्तु जनपद स्तरीय समीक्षा किये जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि नियोजित कार्यक्रम को समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने का एक प्रमुख कारण चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारियों द्वारा दिनचर्या बही व मासिक कार्यक्रम पंजी का न रखा जाना है। जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा नियोजित कार्यक्रम के अनुरूप कार्य का सम्पादन किया गया है अथवा नही, स्पष्ट नही हो पाता है। इस अभिलेख के अभाव में निरीक्षण कर्ता अधिकारी भी प्रभावी ढंग से निरीक्षण नही कर पाते है एवं लक्ष्य के सापेक्ष कार्य की प्रगति न होने के दोषी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित करने में व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रभावी अनुश्रवण भी नही होता है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली-1954 के नियम-62 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता व सहायक चकबन्दी अधिकारी जोत चकबन्दी आकार पत्र-30 में एक दिनचर्या बही रखेंगे, जिसमें उनके द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्यो का ब्यौरा अंकित किया जायेगा। चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर-421 में प्राविधान है कि लेखपाल किये गये कार्य की मात्रा, गाटा संख्या में, अपनी दैनिकी में प्रतिदिन दर्ज करेंगे। चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी मासिक कार्यक्रम पंजी और चकबन्दी लेखपाल की डायरी का निरीक्षण प्रतिदिन करेंगे तथा सम्पन्न कार्य के सम्बन्ध में जहाँ

आवश्यक हो अपनी टिप्पणी देंगे। चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक लेखपाल का काम 15 दिन में कम से कम एक बार अवश्य देख लें तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी भी इस कार्य की जॉच करेंगे एवं उसी समय संक्षिप्त निरीक्षण टिप्पणी भी लिख देंगे तथा निरीक्षण टिप्पणी की प्रति अनुपालनार्थ चकबन्दी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली-1954 एवं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी मैनुअल में स्पष्ट प्राविधान होने के फलस्वरूप भी नियोजित कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति न होना इस आशय का परिचायक है कि चकबन्दी कार्मिकों द्वारा इन प्राविधानों का पालन नही किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्यशैली का द्योतक होने के साथ ही गैर जिम्मेदाराना भी है, जिसमें सभी चकबन्दी कार्मिकों द्वारा तत्काल सुधार किये जाने हेतु निम्न निर्देशों का तत्परता से अनुपालन किया जाये :-

1- समस्त सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी लेखपाल द्वारा जोत चकबन्दी आकार पत्र-30 के प्रारूप में कम से कम 60 पृष्ठ का एक वार्षिक रजिस्टर/डायरी दिनांक 06.11.2017 तक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के हस्ताक्षर मोहर, क्रम संख्या से प्रमाणित कराकर बनाया जाय एवं उस पर अपना नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, क्षेत्र के ग्रामों के नामों की सूची, ग्रामों के प्रारम्भिक आकड़े, क्षेत्र का नाम, तहसील का नाम, जिला का नाम तथा ग्राम में किस धारा स्तर का चकबन्दी कार्य प्रचलित है, आदि के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या-1 से 10 तक में उल्लेख अंकित किया जाय।

2- चकबन्दी लेखपाल एवं चकबन्दीकर्ता पृष्ठ संख्या-11 से आगे ग्राम में किया गया कार्य जैसे-

(क) आधार वर्ष खतौनी के आधार पर प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में बटा तरमीम, क्षेत्रफल एवं आधार वर्ष खतौनी प्राप्त होने पर प्रारम्भिक- भूचित्र संशोधन तथा पड़ताल (परिच्छेद-6 एवं धारा-7, 8), गट्ठा बुक, जोत चकबन्दी आकार पत्र-4 की तैयारी/प्रतिदिन कितने गाटों का रिसर्वे/तैयारी चकबन्दी मैनुअल आकार पत्र-24 (पैरा-100 तथा 278ऊ) के अनुसार किये कार्य को लिखेंगे।

(ख) जोत चकबन्दी आकर पत्र-2क में कितने गाटे लिखे गए।

(ग) जोत चकबन्दी आकार पत्र-11 के कितने खाते लिखे गए।

(घ) जोत चकबन्दी आकार पत्र- 23 भाग-1 या भाग-3 के कितने चक लिखे गए।

(ड़) अन्तिम अभिलेख बनाने के पूर्व जोत चकबन्दी आकार पत्र-23 (1) व (3) का पुराने अभिलेखों से किया गया मिलान कार्य।

(च) जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 में कितने गाटे, किस कमांक से किस कमांक तक लिखा गया।

(छ) जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में कितने खाते लिखे गए।

चकबन्दी लेखपाल की डायरी पर प्रतिदिन की प्रगति अपने हस्तलेख में लिखेंगे। सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दीकर्ता प्रतिदिन सांय 05.00 बजे अपने हस्ताक्षर कर चेक करेंगे। चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक दूसरे व चौथे सोमवार को सांय 05.00 बजे चेक कर डायरी पर हस्ताक्षर करेंगे। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी माह के प्रथम सोमवार को चकबन्दीकर्ता व चकबन्दी लेखपाल की डायरी चेक करेंगे तथा मानक से डायरी में अंकित कम काम करने वाले कार्मिको के विरूद्व उ0 प्र0 सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-10 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनिक दण्ड देना सुनिश्चित करेंगे।

3- सहायक चकबन्दी अधिकारी कमांक 1 के अनुसार अपनी डायरी बनाकर पृष्ठ संख्या-11 से आगे पृष्ठ संख्या-30 तक चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता की डायरी की जॉच की ग्रामवार कमी का उल्लेख तथा पृष्ठ संख्या 31 के आगे

प्रत्येक सप्ताह ग्रामवार काटे गए चकों का क्षेत्रफल हेक्टेयर में /सेक्टरों की संख्या का उल्लेख प्रतिदिन करेंगे। सहायक चकबन्दी अधिकारी की डायरी की चेकिंग चकबन्दी अधिकारी पाक्षिक एवं प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व उप संचालक चकबन्दी चेक कर मानक से कम काम करने वाले सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरूद्वआख्या निदेशालय को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4- चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अधीनस्थ सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता एवं चकबन्दी लेखपाल के कार्यो की जो माह में जॉच की गयी, उनके कार्यो में जो सुधार कराया गया या मानक के अनुसार कार्य न करने में शिथिलता की गयी तथा चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा नये एवं 05 वर्ष से अधिक पुराने वादों का गुणदोष के आधार पर निस्तारण करने में यदि शिथिलता बरती गयी है, उसकी जॉच एवं समीक्षा उप संचालक चकबन्दी प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को सुनिश्चित करते हुए कार्यो में सुधार एवं मानक कार्य पूर्ण करायेंगे एवं शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरूद्वअनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निदेशालय को संस्तुति सहित प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें।

5- यह डायरी वार्षिक होगी तथा प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण हो जाने के बाद बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के नियन्त्रण में पेशी कानूनगो कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

उक्त के साथ ही समस्त उप संचालक चकबन्दी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की टिप्पणी की निदेशालय स्तर पर समीक्षा अपर संचालक चकबन्दी(प्रा0) एवं संयुक्त संचालक चकबन्दी, मुख्यालय द्वारा संयुक्त रूप से की जायेगी तथा संक्षिप्त टिप्पणी दूसरे सोमवार तक अधोहस्ताक्षरित के समक्ष नियमित रूप से रखी जायेगी, इन आदेशों का कियान्वयन एवं अनुपालन तत्काल प्रभाव सके किया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(पुनीत शुक्ला)
उप संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

सेवा में,

समस्त-

1. उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
2. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
3. चकबन्दी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 4223/जी-415/2009-10 दिनांक : 08 नवम्बर, 2017

विषयः विभागीय कार्यवाही में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के प्राविधानों का शब्दशः अनुपालन किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 में निहित प्राविधानों के अधीन सरकारी सेवकों के विरूद्धविभागीय कार्यवाहियों का क्रियान्वयन एवं सम्पादन किया जाता है। परन्तु प्रायः यह प्रकाश में आया है कि उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रकियाओं का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाहियों में पारित दण्डादेशों को मा0 न्यायालय/मा0 अधिकरण द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।

उक्त के सम्बन्ध में कहना है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विभिन्न व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि सुनवाई का अधिकार न केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त का एक तथ्य है, अपितु यह एक मौलिक अधिकार भी है, उक्त नियमावली में भी यह व्यवस्था दी गयी है कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना प्रशासनिक मामलों में भी अपरिहार्य है। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच प्रक्रिया सम्पादित करने अथवा दण्डाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई का पर्याप्त अवसर न दिये जाने के कारण सम्बन्धित जॉच/आदेश उक्त वर्णित नियमावली में निहित प्राविधानों के विरुद्वहोने के कारण दूषित हो जाते है। मा0 न्यायालय/अधिकरण द्वारा इस तथ्य को अत्यन्त ही गम्भीरता से लिया जाता है एवं पारित दण्डादेशो/जॉच आख्याओं को दोषपूर्ण मानते हुए अपास्त कर दिया जाता है तथा पुनः प्रकरण में नियमानुसार जॉच के

निर्देश दिये जाते है, जिससे आरोपी, जॉच अधिकारियों एवं दण्डन (नियुक्ति) अधिकारी के शासकीय कार्य निष्पादित करने के बहुमूल्य समय का अपव्यय पुनः जॉच कार्य एवं दण्डादेश पारित करने में होता है।

उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार विशेष कर नियम-7, जिसमें अपचारी अधिकारी/कर्मचारी पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने सम्बन्धी मामलों में इस नियम के तहत निहित प्राविधानों की प्रकिया का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को आरोप पत्र के समर्थन में दिये गये समस्त साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करायी जायें तथा मौखिक साक्षी यदि कोई हो तो उसका बयान आरोपी की उपस्थिति में कराते हुए आरोपी को प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जाय। अपचारी का लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त जॉच अधिकारी द्वारा तिथि, समय व स्थान निर्धारित करते हुए प्रस्तावित दस्तावेजों के सत्यापन में बयान, जिरह एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाय एवं इस अपनाई गयी प्रक्रिया का स्पष्ट विवरण उल्लिखित करते हुए सम्बन्धित सिद्ध साक्ष्यों के साथ जॉच आख्या प्रस्तुत की जाय।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-10 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण प्राप्त कर लघु शास्तियों का तथा नियम-7,8 व 9 के अन्तर्गत विधिवत् जॉच पूर्ण कर दीर्घ शास्तियों का दण्डादेश पारित करते समय केवल उन्ही दण्डों को अधिरोपित किया जाय जो इस नियमावली के नियम-3 में उल्लिखित है। भर्त्सना, प्रतिकूल प्रविष्टि, कठोर चेतावनी के दण्डों का उल्लेख नियम-3 के प्राविधानों में उल्लिखित नही है। अतः ऐसे निरर्थक दण्ड देकर अनावश्यक आरोप-प्रत्यारोप, मुकदमें बाजी बढ़ाना विधि संगत नही है।

उक्त नियमावली के नियम-7 के उप नियम-6 व 7 का अनुपालन प्रत्येक दशा में जॉच अधिकारियों द्वारा किया जाय, उपनियम-6 के अन्तर्गत जहॉ आरोपी ने आरोपों को स्वीकार किया हो वहॉ जॉच अधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, परन्तु उपनियम-7 के अन्तर्गत जहॉ आरोपी ने आरोपों से इनकार किया है, ऐसे मामलों में आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में चाहें जिरह की मांग की गयी हो अथवा न की गयी हो तब भी आरोप के समर्थन में लोक दस्तावेजों को छोड़कर प्रत्येक प्रस्तावित साक्ष्य व दस्तावेंज का सत्यापन उस साक्ष्य दस्तावेज को तैयार करने वाले या अभिरक्षा में रखने वाले या प्रस्तुत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को जॉच अधिकारी बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में उसके बयान द्वारा सत्यापन कराया जाय एवं आरोपी को प्रतिपरीक्षा का अवसर देकर बयान व प्रतिपरीक्षा को जॉच अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में सुनकर एवं निर्देश पर स्वंय लिखे या लिखवाया जाय तथा उस पर अपने समक्ष सुनने एवं यथावत लिखाने का प्रमाण पत्र अंकित कर आरोपी का हस्ताक्षर कराकर स्वंय हस्ताक्षर भी किया जाय। इसके अतिरिक्त जॉच की प्रतिदिन की कार्यवाही को आर्डर शीट पर आरोपी एवं जॉच अधिकारी के हस्ताक्षर से नियमित रूप से जॉच पत्रावली पर लिखी जाये तथा सुरक्षित रखी जाये। उक्त बयान जिरह की कार्यवाही एवं आरोपी के मांग के अनुसार मौखिक सुनवाई करके ही सम्पन्न की गयी जॉच आख्या के आधार पर जनपद के नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मामलों में दण्डादेश का निर्णय लिया जायेगा तथा जिन प्रकरण में नियुक्ति प्राधिकारी चकबन्दी आयुक्त या शासन है, उनके सम्बन्ध में जॉच अधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु निदेशालय/शासन

को जॉच आख्या प्रेषित की जाय।

उपरोक्तानुसार अपचारी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्वप्रचलित विभागीय कार्यवाहियों की जॉच सम्पादित किये जाने में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 में निहित प्राविधानों का जॉच अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
2. समस्त जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

(पुनीत शुक्ला)
उप संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

सेवा में,

समस्त-

1- उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

2- बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

3- चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी, उ0प्र0।

संख्या- 4224/जी0-415/2009-10 दिनांक : 08 नवम्बर, 2017

विषयः नीलाम प्रमाणपत्र/सरकारी पट्टेदारों के अवैध नामान्तरणों को रोकना तथा धारा-48 व 52(2) चकबन्दी अधिनियम एवं नियम-109 के अधीन वादों के पंजीकरण के पूर्व परीक्षण किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि चकबन्दी प्रकिया एक जन कल्याणकारी योजना है इसके कियान्वयन में चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में जोत चकबन्दी अधिनियम एवं जोत चकबन्दी मैनुअल में विद्यमान अधिनियमों एवं नियमों में निहित प्राविधानों के आलोक में न्यायिक मामलों का निस्तारण किया जाता है। चकबन्दी के पीठासीन अधिकारियों के कार्यों की गुणवत्ता के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 एवं चकबन्दी मैनुअल के अतिरिक्त सहसम्बद्ध अन्य अधिनियमों एवं संहिताओं में भी निहित प्राविधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

1- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-279, 284, 286 के नियम-285 तथा राजस्व संहिता 2006 धारा-176, 177 नियम-176 तथा दीवानी प्रकिया संहिता 1908 एवं इवैकुई प्रापर्टी एक्ट 1950 तथा कस्टोडियन इनेमी प्रापर्टी एक्ट 1968 तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-17 के प्राविधानों में उप जिलाधिकारी, कलेक्टर एवं अन्य पीठासीन अधिकारियों, बैंकों आदि द्वारा जारी नीलाम प्रमाणपत्र जो पूर्व में 50 एवं वर्तमान में 100 रू0 से अधिक नीलाम विकय मूल्य के हैं, निष्पादन की तिथि को व्यवस्थानुसार पंजीकृत और सम्यक रूप से स्टांपित होने पर ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों में साक्ष्यों में ग्राह्य किये जा सकते हैं। यदि नीलाम प्रमाणपत्र या नीलाम आदेश पत्र पूर्वोक्तानुसार पंजीकृत एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-3 (अनुसूची-1, आयटम-18) तथा धारा-35 के प्रावधान में सम्यक रूप से स्टांपित नहीं है तो उनके आधार पर नामान्तरण वाद का कोई वाद दर्ज नहीं किया जायेगा और न ही दाखिल खारिज किया जायेगा। ऐसे प्रार्थनापत्र प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने का निर्णय लिया जाना चाहिये।

2- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-129 व धारा-133(क) नियम 178 तथा गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895, नजूल, राजकीय सम्पत्ति तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-74 व 147 से 152 के

अन्य पट्टेदार व सरकारी पट्टेदार, इन सभी भूमियों पर ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट 1882 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। इन भूमियों के सम्बन्ध में किसी अधिनियम में असंक्रमणीय भूमिधर या संक्रमणीय भूमिधर के संक्रमणीय एवं वरासत के अधिकार प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इन पट्टेदारों पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 तथा राजस्व संहिता, 2006 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-23 के प्रावधान में वसीयत छोड़कर अन्य सभी दस्तावेज निष्पादन तथा अन्तिम डिक्री की तिथि से चार माह की अवधि में ही पंजीकृत कराने की व्यवस्था है। इन पट्टों के विषय में पट्टा स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने पट्टे के निष्पादन में जिन शर्तों और प्राविधानों का उल्लेख किया है उसी के अनुसार पट्टेदार के अधिकार प्रशासित होंगे और पट्टेदार उन शर्तों से बाध्य होगा। अतः ऐसे पट्टों पर असंक्रमणीय भूमिधर या संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार देकर या विपरीत कब्जा के आधार पर असंक्रमणीय भूमिधर या संक्रमणीय भूमिधर बनाकर अथवा विपरीत कब्जे पर घोषणात्मक अधिकार देने के तथा विक्रय पत्र या वरासत, वसीयत से विधि विरूद्ध आदेश पारित न किये जाये और जहां कहीं कठिनाई हो वहां जनपद के कलेक्टर से और इस निदेशालय से मार्गदर्शन लिया जाये।

3- **धारा-48(1) जो0च0अधिनियम, 1953 निम्नवत् है :-**

चकबन्दी संचालक, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गयी किसी कार्यवाही का अभिलेख, उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गयी अर्न्तवर्ती आज्ञा से भिन्न आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच करा सकता है तथा सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह उचित समझे।

उक्त विधिक प्रावधान के अनुपालन हेतु आवश्यक है कि जिला उप संचालक चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी अपने अधीनस्थों द्वारा निर्णीत मामलों की प्रत्येक माह नियत तिथि पर नियमित समीक्षा करें एवं समीक्षा में अधीनस्थों के जिन निर्णयों में उन्हें अनियमितता, आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में आशंका हो, उन्हें नियमित रूप से अपने न्यायालय में मंगाकर फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उचित आदेश पारित करने का कार्य भी किया जाये तथा मंगाये गये मामलों की नियत प्रारूप पर सूची निदेशालय को मासिक रूप से भेजी जाये।

4- उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम की धारा-52(1), धारा-52(2) एवं नियम-109-क (1),(2),(3),(4) में स्पष्ट व्यवस्था है कि धारा-52 की उप धारा(2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में दी गई आज्ञायें धारा-42 की उप धारा-(2) के अधीन जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी द्वारा नियुक्त चकबन्दी अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। इससे स्पष्ट है कि धारा-52(1) के प्रावधान में चकबन्दी प्रक्रिया की समाप्ति के पूर्व जो आदेश चकबन्दी न्यायालयों द्वारा पारित किये गये हैं या चकबन्दी अभिलेखों में उनकी अमलदरामद दर्ज है या जिन आदेशों की धारा-52(1) की प्रकाशन की तिथि के पूर्व के आदेश तिथियों की प्रमाणित प्रतियां लायी जाती हैं तो उनके आधार पर नियम-109-क (1),(2),(3),(4) के प्राविधानों में अनुपालन करने, परवाना अमलदरामद जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार चकबन्दी अधिकारियों को प्राप्त नहीं है। अतः ऐसे मामलों में जो आदेश धारा-52(1) चकबन्दी कियाओं की समाप्ति के पूर्व पारित किये गये हैं उनके आधार पर नियम-109(क) के क्षेत्राधिकार में चकबन्दी अधिकारियों यथा सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा उप संचालक चकबन्दी के न्यायालयों में दर्ज करना एवं निर्णय करना विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विधिक प्रावधानों को लागू करने के लिए कठोरता से जब बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धारा-52(1) के

प्रावधान में अन्तिम चकबन्दी अभिलेख सी0एच0 41, 45 एवं संबंधित भू-चित्रों पर हस्ताक्षर कर रहे हों तो वह इससे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके हस्ताक्षर करने की तिथि के पूर्व जनपद के चकबन्दी न्यायालयों में जो भी आदेश इस तिथि तक पारित किये गये हों उनका कियान्वयन अंतिम अभिलेखों में कर दिया जाये तथा उसकी सूची नियत प्रारूप पर सी.एच.-45 में नत्थी कर दी जाये।

उपरोक्त परिस्थिति में यदि कोई भी मामला, कोई भी आज्ञा आदेश जो धारा-52(1) चकबन्दी कियाओं की समाप्ति के प्रकाशन के पूर्व से अमलदरामद करने से छूट जाता है उसको राजस्व अभिलेखों में अंकित करने का अधिकार धारा-27(3) चकबन्दी अधिनियम के प्राविधान में कलेक्टर और उनके अधीनस्थ अधिकारियों का उ0प्र0भू0 राजस्व अधिनियम 2001 की धारा-28 व 33 के प्रावधान में और अब उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के आवश्यक उपबन्धों के अनुसार करने की व्यवस्था है। निष्कर्षतः चकबन्दी न्यायालयों को किसी ऐसे आदेश या अमल दरामद का नियम-109क में ऐसा मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं है जिसका आदेश ग्राम में धारा-52(1) के प्रकाशन के पूर्व हुआ है।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अधिकारीगण मुख्यालय ।

(पुनीत शुक्ला)
उप संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

सेवा में,

समस्त-

1. समस्त उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त चकबन्दी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :- 4125 / जी-415 / 2009-10 दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017

विषय :- अधिकारीवार वादों के निस्तारण की प्रगति प्रसूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः देखने में आया है कि निदेशालय स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक के समय निर्धारित प्रारूप में चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/उप संचालक चकबन्दी के स्तर पर लम्बित आपत्तिम/अपील/निगरानी के निस्तारण की जो सूचना मासिक प्रगति प्रसूचना के माध्यम से माहवार भेजी जाती है उसमें वादों के निस्तारण की संख्या गलत दर्शाई जा रही है। जिसमें कालबाधिता निरस्त/स्वीकृत करने व रेस्टोरेशन स्वीकृत करने के वादों (cases) को भी प्रगति में लेकर मानक के अनुसार निस्तारण की पूर्ति कर दी जाती है जो भ्रामक एवं नियमविरूद्ध है। वादों के निस्तारण के विवरण के सम्बन्ध में उ0प्र0 जोत चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर-573 में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। प्रस्तर 573अ(4) में व्यवस्था है कि चकबन्दी मैनुअल आकारपत्र-57 (मासिक प्रगति प्रसूचना-4) में अधिकारीवार विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विवादों के निस्तारण का विवरण दिया जायेगा। आकारपत्र-57 के स्तम्भ-5 में अविवादित वादों का उल्लेख करते समय चकबन्दी अधिकारी के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किये जाने के निर्देश हैं कि इस संख्या में कितने वाद हैं जिनकी संख्या विवादग्रस्त वादों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है, जो निस्तारण के लिए नहीं गिनी जायेंगी। उक्त प्रस्तर में यह भी निर्देश है कि आकारपत्र-57 के स्तम्भ-8 व 9 जिनमें क्रमशः वाद जो वापस ले लिए गये व कालबाधित वाद जो स्वीकृत नहीं किये गये, की संख्या दर्शाई गयी है, को निस्तारण के लिए नहीं गिना जायेगा। इसी प्रकार स्तम्भ-12 व 13 की संख्या का केवल 1/5 निस्तारण के लिए जोड़े जाने का निर्देश है। परन्तु उक्त निर्देशों के विरूद्ध अधिकारियों द्वारा अपने द्वारा निस्तारित वादों की संख्या में उपरवर्णित संख्या को भी जोड़कर निस्तारण की गलत प्रगति दर्शायी जाती है। जिससे आपत्ति/अपील/निगरानी न्यायालयों में वास्तविक रूप से लम्बिदत वादों के निस्तारण कम होते हैं। वादों के अधिक समय से लम्बितत रहने के कारण न केवल वादकारियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बल्कि लक्ष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा-9 एवं 12 के प्रावधान में प्राप्त ऐसी आपत्तियाँ एवं वादपत्रों, जो उनके स्तर से

निस्तारित नहीं होनी हैं, उनको प्राप्त होने की तिथि का एक पंजी में नियत प्रारूप पर अंकन कर अधिकतम एक पक्ष में चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय/न्यायालय को उनके पेशकार के हस्ताक्षर लेकर प्राप्त करायें तथा उस पर चकबन्दी अधिकारी एक सप्ताह में वाद पंजी में दर्ज कराकर पक्षों के कुसंयोजन पर निर्णय करके सम्मन जारी कर सुनवाई प्रारम्भ करेंगे।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्देश दिये जाते हैं -

1- मासिक प्रगति प्रसूचना प्रेषित किये जाने के तीन दिन के पश्चात चकबन्दी मैनुअल आकारपत्र-57 में निर्धारित स्तम्भों के अनुसार अधिकारीवार वादों के निस्तारण का विवरण चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर-573 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाये।

2- उ0प्र0 जोत चकबन्दी आकारपत्र-5 के वितरण के पश्चात सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष दायर किये जाने वाले वादों के सम्बन्ध में वाद के दायर होने का दिनांक, नाम बनाम, अन्दर मियाद दायर अथवा कालबाधित व वाद के निस्तारण/संदर्भित किये जाने का दिनांक की सूचना भी निदेशालय को उपलब्ध करायी जाये।

3- पुर्नस्थापना प्रार्थनापत्र स्वीकृत करने के निस्तारण को एवं कालबाधित वादों के दावापत्रों के प्रारम्भिक निस्तारण की संख्या को मानक के सापेक्ष ली गयी प्रगति में नहीं लिया जायेगा।

अधिकारीवार वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिन्दुओं में सम्मिलित है एवं शासन स्तर पर इस सम्बन्ध में प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में शासन की महत्ता व प्राथमिकता के दृष्टिगत उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत शुक्ला)
उप संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

सेवा में,

समस्त-

1. समस्त उप संचालक चकबन्दी, उ0प्र0।
2. समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उ0प्र0।
3. समस्त चकबन्दी अधिकारी, उ0प्र0।

संख्या : 4124 / जी-415 / 2009-10 दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017

विषय: ग्राम में सिद्धान्तों के विवरण से सम्बन्धित वादों की सुनवाई / निस्तारित किये जाने तथा स्थल निरीक्षण ज्ञाप तैयार किये जाने एवं कब्जा परिवर्तन के उपरान्त ग्राम को प्रत्यावर्तित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 एक लोक कल्याणकारी अधिनियम है, जिसके अन्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया संक्षिप्त व सरल तरीके से सम्पन्न की जाती है। ऐसा प्रकाश में आया है कि चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत सिद्धान्तों के विवरण पत्र से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले वादों का निस्तारण चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा ग्राम में जाकर वादों की सुनवाई तथा स्थल निरीक्षण किये बिना ही किया जा रहा है। जिससे न केवल वादों के निस्तारण की गति व गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है बल्कि सुदूर ग्राम से आने वाले वादकारियों को अत्यन्त परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-9-ख तथा उ0प्र0 जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-24-ख व घ नियम-26(5) के अनुसार वादों के निस्तारण के पूर्व स्थल निरीक्षण किये जाने व तद्नुसार निरीक्षण ज्ञाप तैयार किये जाने के स्पष्ट प्रावधान है। ग्राम में जाकर वादों की सुनवाई किये जाने पर वादकारियों को सुविधा होगी। इन परिस्थितियों में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) अधिनियम की धारा-9ख (2) में व्यवस्था है कि यदि सिद्धान्तों के विवरण के विरुद्ध धारा-9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो, तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की दृष्टि से चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति को उचित सूचना देने के बाद कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा। इसी प्रकार धारा-9ख (3) में व्यवस्था है कि चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध होने पर 21 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत

की जा सकती है। धारा-9ख (4) में व्यवस्था है कि आपत्ति, अपील पर निर्णय देने से पूर्व चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सम्बद्ध पक्षों तथा चकबन्दी समिति को सम्यक सूचना देने के बाद कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली के नियम-24ख में व्यवस्था दी गई है कि सिद्धान्तों का विवरण, नियम-24क के उप नियम (1) के अधीन तैयार किये गये नक्शे के साथ कटक में प्रकाशित किया जायेगा। नियम-24घ में व्यवस्था है कि चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धारा-9ख/धारा-21 नियम 26(5) के अधीन कटक का स्थानीय निरीक्षण करते समय आपत्ति/अपील पर निर्णय देने के प्रयोजन हेतु निरीक्षण ज्ञाप तैयार करेगा और उसे सम्बन्धित वाद पत्रावली में रखेगा जिसमें उसके द्वारा आज्ञा दी जानी हो।

उपरोक्त विधिक व्यवस्थाओं के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि कटक के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी हेतु भूमि सुरक्षित किये जाने, मानक गाटे के चयन एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं हेतु भूमियों के आरक्षण से सम्बन्धित वादों का निस्तारण करने के पूर्व सम्बन्धित चकबन्दी न्यायालय के प्राधिकारियों द्वारा गाटों का आवश्यक रूप से स्थानीय निरीक्षण किया जाये और निरीक्षण ज्ञाप तैयार किया जाये। उक्त निरीक्षण ज्ञाप पर आवश्यक रूप से उपस्थित पक्षकारों एवं चकबन्दी समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के हस्ताक्षर लिये जायें। इस प्रकार तैयार किये गये निरीक्षण ज्ञाप को सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाय। उसके बाद ही निर्णय/आदेश नियमानुसार किया जाये।

(2) चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद-13 के प्रस्तर 315 व 316 तथा पूर्व प्रस्तर 1 में उल्लिखित विधिक प्राविधानों के अनुक्रम में चकबन्दी अधिकारी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/उप संचालक चकबन्दी द्वारा क्रमशः चक आपत्ति, अपील एवं निगरानी की सुनवाई यथा सम्भव गांव में स्थल निरीक्षण की तिथि के दिवस को नियत कर सम्बन्धित राजस्व ग्राम में ही स्थल निरीक्षण के पश्चात पक्षकारों को पूर्व निश्चित किसी सार्वजनिक स्थान की सूचना देकर निरन्तर नियत एक, दो या अधिक दिनों में करके वादों का निपटारा सुनिश्चित किया जाये।

(3) कई जनपदों में अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत किसी ग्राम में अन्तिम चकबन्दी योजना में कब्जा परिवर्तन पूर्ण हो जाने की तिथि के बाद भी उप संचालक चकबन्दीगण द्वारा धारा-48 के अन्तर्गत निगरानियों की सुनवाई में ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया के पीछे के स्तर पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। ऐसे प्रत्यावर्तन पर सहायक चकबन्दी अधिकारी/चकबन्दी अधिकारी आदि को पुरानी मेड़ें एवं फसल न मिलने पर पुनः मूल्यांकन लगाना तथा पुराने गाटे के मूल्यांकन के आधार पर नये चक सृजित कर प्रदिष्ट करना अत्यन्त कठिन, दुरुह ही नहीं बल्कि असम्भव हो जायेगा तथा ग्राम अनन्त काल के लिये चकबन्दी प्रक्रिया में फँस जायेगा। जिससे न केवल ग्राम की प्रगति प्रभावित होती है बल्कि अधिक समय तक ग्राम के लम्बित रहने के कारण कृषकों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा विभाग की छवि भी धूमिल होती है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि निगरानी स्तर पर त्रुटियों का निराकरण/शुद्धता करने का कार्य किया जाये तथा ग्राम में चक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन के पश्चात निगरानियों की सुनवाई करते समय ग्राम को किसी भी दशा में प्रत्यावर्तित न किया जाये।

उपरोक्त के साथ ही प्रदेश के समस्त उप संचालक चकबन्दी/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को ये भी निर्देशित किया

जाता है कि स्पष्ट करें कि कितने/कौन से ग्राम को धारा-24 के बाद रिमाण्ड किया गया। ऐसे रिमाण्ड आदेशों की प्रति एवं रिमाण्ड करने वाले अधिकारी के नाम, पदनाम सहित आख्या/सूचना निदेशालय को 10 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत शुक्ला)
उप संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त उप संचालक चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।
2—समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—4327/ जो0-415/2012-13 दिनाँक 16 नवम्बर, 2017

विषयः— **उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा—8 सपठित उ0प्र0जोत चक0नियमावली के नियम 19 एवं 20 के अन्तर्गत चालू वार्षिक रजिस्टर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर के कार्यों में चालू वार्षिक रजिस्टर (आधार वर्ष खतौनी) का पुनरीक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में तस्दीक खतौनी भी कहते हैं। इस सम्बन्ध में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा—8 एवं तत्सम्बन्धी जोत चकबन्दी नियमावली के नियम 19 एवं 20 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिनके संयुक्त पठन से यह तथ्य स्पष्ट है कि चालू वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों का सत्यापन विगत वार्षिक रजिस्टर या रजिस्टरों, पिछले बन्दोबस्त या अभिलेखों के पुनरीक्षण के समय तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से भी मिलाकर की जायेगी। किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त प्रावधान का विधायन की मंशा के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरूप अनेक त्रुटियां ससमय संज्ञान में न आने के कारण दुरूस्त नहीं हो पाती हैं। स्थिति तब जटिल हो जाती है, जब ग्राम का अन्तिम अभिलेख तैयार करने से पूर्व अभिलेखों के मिलान के समय ऐसी त्रुटियॉं संज्ञान में आती हैं, जिन्हें प्रारम्भिक स्तर पर ही दुरुस्त कर लिया जाना चाहिए। विशेषकर ग्रामसभा की भूमियों पर अनधिकृत रूप से दर्ज चले आ रहे काश्तकारों के नाम चकबन्दी प्रकिया के अन्तर्गत चक प्रदिष्ट कर दी जाती है तथा अन्तिम अभिलेख बनाते समय उसे दुरूस्त करने में अनेक न्यायिक एवं व्यावहारिक कठिनाईयॉं उत्पन्न होती है। अवैध लाभार्थियों द्वारा चकबन्दी प्रकिया का घोर विरोध किया जाता है। परिणामस्वरूप अन्तिम स्तर पर चकबन्दी प्रकिया बाधित

हो जाती है। साथ ही ग्रामसभा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराना भी दुरूह हो जाता है।

उक्त स्थिति के निवारण हेतु निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय, साथ ही उक्त के अतिरिक्त आधार वर्ष खतौनी में अंकित जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 एवं राजस्व संहिता 2006 की धारा–77 में प्रगणित भूमियों का सत्यापन प्रत्येक दशा में 1359 फसली के अधिकार अभिलेख से कराते हुए विवाद उठाकर नियमानुसार कार्यवाही कराई जाय ताकि उक्त धारा में वर्णित ग्रामसभा की बहुमूल्य भूमियों की सुरक्षा हो सके। जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी से अनुरोध है कि जिन ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है अथवा जो ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिये गये हैं, उनकी 1359 फसली के अधिकार अभिलेख में अंकित राज्य सरकार/ग्रामसभा की भूमियों से सम्बन्धित खातों की सत्यापित प्रति चकबन्दी प्राधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करायें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनॉक उपरोक्त।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–वैयक्तिक सहायक, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–आशुलिपिक, अपर संचालक चकबन्दी(प्राविधिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4–मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

(ऋतु सुहास)
उप संचालकचकबन्दी,
कृते आयुक्त।

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त–
1– जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उ0प्र0।
2– उप संचालक चकबन्दी, उ0प्र0।
3– बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उ0प्र0।

संख्या–4561 /जी-415/2009-10 दिनांक:07 दिसम्बर, 2017

विषय– **प्रदेश में चकबन्दी प्रकिया के सर्वे तथा चक निगरानी आदेशों में गुणात्मक सुधार के संबंध में समुचित निर्देश।**

महोदय,

प्रदेश में चल रही चकबन्दी प्रकिया में पारदर्शिता समयबद्धता व गुणात्मक सुधार लाने के लिए पूर्व में निर्गत इस निदेशालय के निर्देशों के कम में निम्न निर्देश एवं मार्ग–दर्शन अनुपालन हेतु निर्गत किये जाते हैं।

1– उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा(4) में राजस्व ग्राम/कटक का चकबन्दी प्रकिया हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापन जारी करने के उपरांत तहसीलदार द्वारा बन्दोबस्त दोम, सोयम् या नया चकबन्दी बन्दोबस्त C.H-45+41 आदि, भू–चित्र, खतौनी जमींदारी विनाश, खतौनी जमींदारी क्षेत्र व अन्य अभिलेख बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को भेजे जाते हैं इन अभिलेखों के आधार पर चकबन्दी अधिनियम की धारा–7 व 8 के अन्तर्गत सर्वे टीम तथा चकबन्दीकर्ता व चकबन्दी लेखपाल द्वारा ग्राम के प्रत्येक गाटे का खेतवार पड़ताल खसरे व वर्तमान चालू खतौनी/वार्षिक रजिस्टर के आधार पर चकबन्दी समिति के अध्यक्ष सदस्यों के परामर्श से उनकी उपस्थिति में किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

इस खेतवार पड़ताल के समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–117 व 132 तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा–59 व 77 से आच्छादित भूमियों के बन्दोबस्ती क्षेत्रफल में सर्वे के आधार पर या चकबन्दीकर्ता की आख्या के आधार पर क्षेत्रफल में परिवर्तन/कमी करने का कोई आदेश सामान्यतया पारित नहीं किया जायेगा तथा सार्वजनिक भूमियों पर अनाधिकृत कब्जों के संबंध में अनाधिकृत कृषि या निर्माण कर काबिज व्यक्तियों

को लाभ देने के लिए अनावश्यक बटा नम्बर नहीं बनाये जायेंगे तथा जो अनाधिकृत कब्जे पाये जायेंगे उनके काबिज व्यक्तियों के नाम व पिता के नाम, कब्जे की अवधि, कब्जे के प्रकार का विवरण बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलदार/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को धारा–67 राजस्व संहिता–2006 के प्राविधान में बे–दखली और क्षतिपूर्ति निर्धारित करने हेतु प्रेषित किया जायेगा, जिस पर तहसीलदार द्वारा समुचित निर्णय नियमानुसार लेने की कार्यवाही की जायेगी।

2– धारा–7 व 8 के अन्तर्गत कटक के खसरे का व नक्शे का खेतवार पड़ताल करते समय भी चकदारों के कब्जों के संबंध में वास्तविक मेडों के आधार पर ही बटा नम्बर बनाये जाएं तथा अस्थाई मेड़ों के आधार पर बटा नम्बर कायम न किया जाए। केवल भूमि प्रकृति (Nature) व अंश के आधार पर ही बटा नम्बर बनाया जा सकता है। इसके साथ ही बन्दोबस्ती क्षेत्रफल के अनुसार ही भू–चित्र में संशोधन करने के विवाद बनाये जा सकते हैं। बन्दोबस्ती क्षेत्रफल के विपरीत भू–चित्र में संशोधन का कोई विवाद बनाना विधि संगत नहीं है।

3– चकबन्दी अधिनियम की धारा–48 उप धारा (1), (2), (3) मय स्पष्टीकरण i, ii, iii, तथा संबंधित चकबन्दी नियम–111 के अन्तर्गत जिला उप संचालक चकबन्दी/ उप संचालक चकबन्दी आदि अपने न्यायालय में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किये गये चक निर्माण, चकबन्दी अधिकारी द्वारा निर्णीत चक आपत्ति, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा निर्णीत चक अपील के किसी भी मामले के अभिलेख को मंगा कर उसकी नियमितता, शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच करने–कराने तथा उप धारा–(3) के अन्तर्गत अधीनस्थ चकबन्दी प्राधिकारीगण द्वारा चक संशोधन के सन्दर्भ के प्रस्ताव प्राप्त होने, तथा नियम–111 के अन्तर्गत किसी चकदार या आवेदनकर्ता या उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर चक निगरानी का निर्णय/अंतिम आज्ञा पारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम की धारा–24 के अन्तर्गत कब्जा परिवर्तन की वास्तविक तिथि क्या थी ? और कब्जा परिवर्तन की तिथि के बाद वर्तमान चकदार एवं आवेदनकर्ता ने उस कब्जा प्राप्त भूमि पर नई समुन्नतियां यथा बाग, नलकूप, मकान आदि का सृजन या निर्माण आदि तो नहीं कर लिया और उनका या गाटों का विक्रय करके किसी अन्य को अंतरण/हस्तान्तरण तो नहीं किया गया है। यदि ऐसा कर दिया गया है तो पुनरीक्षण/निगरानी के आदेश के अनुपालन में चक संशोधन तालिका पर हस्ताक्षर करने के पूर्व तथा चक संशोधन तालिका पर नये गाटे को प्रदिष्ट करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त आवेदनकर्ता, प्रभावित

चकदार पुराने गाटों से अपना कब्जा छोड़ दें और यदि पुराने गाटों पर ऐसी समुन्नतियों का निर्माण या अन्तरण कर दिया गया है जिनको साधारणतया प्रक्रिया से हटाया जाना सम्भव नहीं है तो ऐसे चकदार, आवेदनकर्ता को पुनरीक्षण/चक निगरानी के आधार पर नये गाटों का प्रदिष्टीकरण किया जाना विधि सम्मत, औचित्यपूर्ण तथा नियमानुसार नहीं होगा।

इन निर्देशों का समुचित एवं विधि सम्मत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
चकबन्दी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–8।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– वैयक्ति सहायक, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

(पुनीत शुक्ला)
उप संचालक चकबन्दी,
कृते आयुक्त।

खण्ड-ख

भाग-1

अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएं एवं उनके नियम

खण्ड-ख

भाग-1

नक्शों और अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन

❖

धारा-4

चकबंदी के सम्बन्ध में प्रख्यापन तथा विज्ञप्ति -

(1) (क) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई जिला या उसका भाग चकबंदी-क्रियाओं के अधीन लाया जाय, तो वह गजट में इस आशय का प्रख्यापन कर सकती है। तदुपरान्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के लिए, जो जिला उप-संचालक चकबंदी द्वारा तदर्थ अधिकृत किये जायें, यह विधिसंगत होगा कि वह-

(i) उक्त क्षेत्र की किसी भूमि में, समकोण निर्माण के सम्बन्ध में या अन्यथा प्रवेश करे तथा उसका सर्वेक्षण करे और स्तर मालूम करे,

(ii) समकोण-निर्माण के सम्बन्ध में खम्भे लगायें, और

(iii) चकबंदी-कियाओं के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करे।

(ख) जिला उप-संचालक चकबंदी खण्ड (क) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन की सार्वजनिक सूचना उक्त जिले या उसके भाग में सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवायेगा।

(2) (क) जब राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये प्रख्यापन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में चकबंदी-क्रियाएँ, आरम्भ करने का निश्चय करे, तो वह इस आशय की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।

[1][(ख) प्रत्येक ऐसी विज्ञप्ति गजट में और ऐसे किसी दैनिक समाचार पत्र में जिसका उक्त क्षेत्र में प्रचलन हो प्रकाशित की जायेगी और उक्त क्षेत्र में प्रत्येक कटक (unit) में ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जायेगी जैसी समुचित समझी जाय][1]

धारा-4-क

जिला या उसका भाग फिर से चकबंदी किया के अन्तर्गत लाया जाना -

(1) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिले या उसके भाग की स्थिति में जिसके सम्बन्ध में धारा-52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहाँ वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रकाशित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबंदी-क्रिया के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

परन्तु उक्त धारा में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से 20 वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियो में राज्य सरकार लोकहित में उक्त दिनांक से 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा-4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं।

❖

धारा-5

धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति का प्रभाव -

(1) सरकारी गजट में धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर उसमें निर्दिष्ट दिनांक से तथा धारा 52 के अधीन अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, जैसी भी दशा हो, विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक धारा 4 (2) के अधीन विज्ञप्ति से सम्बद्ध क्षेत्र में, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे-

(क) जिला अथवा उसका भाग, जैसी भी दशा हो, चकबंदी-कियाओं के अन्तर्गत समझा जायेगा और अधिकार-अभिलेख का रख-रखाव तथा प्रत्येक गॉव के नक्शे, खसरे और वार्षिक रजिस्टर की तैयारी का कार्य जिला उपसंचालक चकबंदी करेगा, जो कि उनका रख-रखाव अथवा उनकी तैयारी, जैसी भी दशा हो, नियत रीति से करेगा।

(ख) [निरस्त]

(ग) 1950 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-1, 1950) के अधीन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार-

(i) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित हैं, से असम्बद्ध प्रयोजन के लिए अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा, और

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए कर सकता है, जिसके लिए धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।

(2) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति के उक्त प्रकाशन के फलस्वरूप विज्ञप्ति से सम्बद्ध क्षेत्र में निम्नलिखित और परिणाम होंगे, अर्थात्-

(क) अभिलेखों के संशोधन की प्रत्येक कार्यवाही का तथा उस क्षेत्र में स्थित किसी भूमि में अधिकारी या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में प्रत्येक वाद और कार्यवाही का अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार के जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती हो या की जानी चाहिए, प्रख्यापन या निर्णय के लिए प्रत्येक वाद या कार्यवाही का, जो प्रारम्भिक अथवा अपील या अभिदेश सुनने वाले अथवा पुनरीक्षण करने वाले किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, उस न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, तदर्थ आदेश देने पर उपशमित हो जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश सम्बद्ध पक्षों को डाक से अथवा अन्य किसी रीति से नोटिस दिये बिना और उनकी सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं दिया जायेगा :

प्रतिबंध यह भी है कि उक्त क्षेत्र अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने पर, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग में स्थित भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा आदेश रद्द हो जायेगा।

(ख) ऐसे उपशमन से, उक्त वादों अथवा कार्यवाहियों में विवादास्पद अधिकारों अथवा स्वत्वों के प्रश्नों की, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के समुचित चकबंदी प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण- उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कोई कार्यवाही या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 134 से 137 के अधीन निर्विरोध कार्यवाही को किसी भूमि में अधिकार या स्वत्व की घोषणा के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझा जायेगा।

नियम-16-क

[धारा 5 (1) (क)] -

(1) इस तथ्य को ध्यान से रखते हुए कि किसी कटक के लिए चकबंदी योजना तैयार करने के पूर्व चकबन्दी क्रियाओं के अधीन गाँव का नक्शा, खसरा एवं वार्षिक रजिस्टर अधिनियम की धारा 7 से 11 तक के उपबन्धों के अधीन पूर्ण रूप से पुनरीक्षित किया जायेगा। जिला उप संचालक चकबन्दी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह किसी गॉव की चकबन्दी कियाओं के अधीन रहने की अवधि में इन अभिलेखों की प्रतिवर्ष तैयार करायें। वर्तमान अधिकारों का अभिलेख रखने के लिए, यह वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित किन्हीं अधिकारों या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा संक्रमणों में सम्बन्धित अधिनियम की धारा 12 के अधीन पारित समस्त आदेशों को रजिस्टर में, इस प्रयोजन के लिए अभिप्रेत स्तम्भों में लाल स्याही से अंकित कराकर धारा 10 (1) के अधीन प्रकाशित अभिलेख को आद्यावधिक करायेगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 27 के अधीन एक नया अधिकार अभिलेख तैयार न किया जाय।

(2) राजस्व परिषद द्वारा निर्दिष्ट महत्वपूर्ण खरीफ और रबी की फसलों के सम्बन्ध में कृषि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने के लिए चकबन्दी लेखपाल द्वारा नियतकालिक पड़तालें, प्रत्येक वर्ष उस अवधि में की जायेंगी, जबकि गॉव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन हों। इन पड़तालों के परिणाम लेखपाल द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए तैयार किये गये पृथक चिट्ठे में संचालक के सामान्य अनुदेशों के अनुसार अभिलिखित किये जायेंगे। कोई जायद पड़ताल नहीं की जायेगी। राजस्व परिषद द्वारा निर्दिष्ट सभी फसलों के सम्बन्ध में खरीफ और रबी के जिन्सवार, चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार किये जायेंगे और चकबन्दीकर्ता द्वारा जॉच किये जाने के पश्चात, सम्बद्ध तहसील के पास, उन दिनांकों तक भेज दिये जायेंगे, जो भूमि अभिलेख नियमावली में सुपरवाइजर कानूनगो के लिए खरीफ तथा रबी की फसल के विवरण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए नियत है : (क) जोत, मालगुजारी तथा लगान के विवरण-पत्र, तथा (ख) क्षेत्र विवरण-पत्र में दिये गये आंकड़े, आधार वर्ष के लिए, यदि संकलित किये गये हों अथवा पूर्ववर्ती के लिए गॉव को चकबन्दी क्रियाओं के दौरान में प्रतिवर्ष दोहराये जायेंगे।

नियम-16-ख [धारा 5 (1) (ग)] -

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) धारा 5 (1) (ग) (ii) में अभिदिष्ट अनुज्ञा प्रदान करेगा, जब तक कि ऐसे कारणों से, जिन्हें वह अधिलिखित करेगा, उसका यह समाधान न हो जाय कि प्रस्ताव संक्रमण से चकबन्दी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

❖

धारा - 6

धारा 4 के अन्तर्गत प्रचारित विज्ञप्ति का रद्द करना-

(1) राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह धारा 4 के अन्तर्गत प्रचारित विज्ञप्ति को उसमें निर्दिष्ट समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग के सम्बन्ध में रद्द कर दे।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी कटक के सम्बन्ध में विज्ञप्ति रद्द कर दी जाय, तो वह क्षेत्र यदि उक्त रद्द करने के दिनांक पर या उसमें पहले तथा भूमि-अभिलेखों में संशोधन से सम्बद्ध, कोई अन्तिम आज्ञा हो, तो उसके अधीन रहते हुए, रद्द करने के दिनांक से चकबंदी-कियाओं के अधीन न रह जायेगा।

विज्ञप्ति का रद्द किया जाना

नियम-17

(धारा 6) अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति अन्य कारणों के साथ, निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक आधारों पर समस्त क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में रद्द की जा सकती है, अर्थातः

क- क्षेत्र इस प्रकार की विकास योजना के अधीन है कि उसके पूर्ण होने पर उसमें चकबन्दी क्रियाएँ, किसानों के लिए अन्यायपूर्ण हो जायेंगी।

ख- गॉव की जोतों को किसी न किसी कारण से पहले ही चकबन्दी हो चुकी है और खातेदार सामान्यतः वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है।

ग- गॉव में दलबन्दी है, जिसके कारण गॉव में उचित रूप से चकबन्दी कार्यवाहियॉ करना बहुत कठिन है और

घ- क्षेत्र की सारी भूमि की तदर्थ एक करने के बाद उस क्षेत्र में खेती करने के लिए एक समिति बनाई जा चुकी है।

धारा-6 क. निर्विवाद उत्तराधिकार या अन्तरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध -

(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 4-क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् और धारा 6 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले को चकबन्दीकर्ता द्वारा, और अन्तरण के आधार पर निर्विवाद नामान्तरण के मामले को सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात, जैसी विहित की जाय, निपटाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात इस धारा के अधीन किसी मामले को न तो ग्रहण किया जायेगा, न ही जारी रखा जायेगा या न ही निपटाया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, धारा 9 के अधीन किसी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा।

नियम-17 क

अधिनियम की धारा 16-क के अधीन दाखिल किये गये मामलों का निस्तारण-

अविवादित नामान्तरण/अविवादित उत्तराधिकार के सम्बन्ध में दाखिल किये गये आवेदनों पर आदेश सम्यक जॉच करने के पश्चात चकबन्दी समिति के परामर्श से क्रमशः सहायक चकबन्दी अधिकारी/चकबन्दीकर्ता के द्वारा पारित किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबन्धित प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर, यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी/चकबन्दीकर्ता के संज्ञान में यह आता है कि नामान्तरण/उत्तराधिकार का मामला विवादित है, तो वह मामले को धारा 9 के अधीन प्रकाशन के पहले तैयार किये जाने वाले जोत चकबन्दी प्रारूप 4 में पंजीकृत करने का आदेश पारित करेगा तथा मामला धारा-9-क की उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) यदि विवादित मामलों में, धारा 6-क के अधीन आदेश पारित किया जाता है, तब मामला या तो स्वप्रेरणा से संज्ञान में आया है अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा संज्ञान में लायाजाता है, तो बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी/उप-संचालक चकबन्दी उसे शीघ्र प्रशासनिक आधारों पर अभिखण्डितकर देगा।

❖

धारा- 7

गॉव के नक्शों का पुनरीक्षण - कटक के प्रत्येक गॉव अथवा उसके भागों के अभिलेखों के पुनरीक्षिण को सरल बनाने के विचार से तथा यहॉ आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला उपसंचालक चकबंदी कटक की प्रारम्भिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व उस कटक के गॉव के नक्शों का पुनरीक्षण करवायेगा।

नियम-18

[धारा 7 और 54 (2) (घ)] -

(क) चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रखे गये कटक के गॉव के नक्शे का पुनरीक्षण, या तो :

(i) नक्शा संशोधन करने की साधारण नीति द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक खेत की, जैसा कि वह नक्शे में दिखाया गया हो, तुलना, स्थल पर उसकी आकृति और परिणाम से की जाती है और जहॉ आवश्यक हो, नक्शे में दी गई आकृति और परिणाम से आवश्यक नाप-जोख के पश्चात् संशोधन किये जाते हैं अथवा

(ii) पूर्ण व्यवसायिक मापन (पुनः मापन) द्वारा किया जायेगा। अतएव जिला उप संचालक चकबन्दी यदि उसे पहले ही से आवश्यक सूचना प्राप्त न हुई हो, अपने जिले में चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रखे गये समस्त

कटकों के गॉव के नक्शों की दशा के बारे में जॉच करायेगा और ऊपर बताई गई दो रीतियों में से किसी एक में नक्शों को आद्यावधिक करने के लिए गॉवों को चुनेगा। वह फिर नक्शों को तदनुसार पुनरीक्षित करवाने की कार्यवाही करेगा।

(ख) गॉवों को व्यवसायिक मापन करने में 'मैनुअल फार दी रिवीजन ऑफ मैप्स एण्ड रिकार्ड्स' के अध्याय 6 और 9 में समाविष्ट अनुदेश और नक्शा संशोधन करने की साधारण रीति द्वारा नक्शा को पुनरीक्षित करने में उसके अध्याय 7 और 9 में साविष्ट अंनुदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे।

(ग) [निरसित]

(घ) नक्शे के साधारण संशोधन का कार्य चकबन्दी लेखपाल द्वारा किया जायेगा। इसकी जॉच संचालक के तत्समय प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा गॉवों की खेतवार पड़ताल करते समय की जायेगी।

(ङ) समकोण गॉव में व्यवसायिक मापन और समकोण का कार्य समकोणकार द्वारा किया जायेगा जिसके कार्य की जॉच सहायक समकोण अधिकारी और समकोण अधिकारी करेंगे।

❖

धारा-8

खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण-

(1) धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उपसंचालक चकबंदी आगे दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय-

(i) कटक के खसरों का, खेतवार पड़ताल के पश्चात् और चालू वार्षिक रजिस्टर का, उसके परीक्षण तथा उसकी जॉच के पश्चात् पुनरीक्षण करवायेगा।

(ii) चकबंदी-समिति के परामर्श से-

(क) प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन शक्ति और स्थिति पर, और यदि सिंचाई की कोई सुविधाएं उपलब्ध हों, तो उन पर भी विचार करने के पश्चात करायेगा, और

(ख) गाटों के सभी पेड़ों, कुँओं तथा अन्य उपस्थित समुन्नतियों का मूल्यांकन उनका प्रतिकर आंकलित करने के प्रयोजनार्थ करायेगा।

(iii) यदि एक से अधिक स्वामी हों तो खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन अवधारित मूल्य से प्रत्येक स्वामी का अंश निश्चित करवायेगा, और

(iv) उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करायेगा।

(2) जिला उपसंचालक, चकबंदी, कटक के अंतर्गत आने वाले गाटों के सम्बन्ध में नियत आकार में खसरा चकबंदी तैयार करवायेगा और एक ऐसा विवरण तैयार करवायेगा जिसमें वे अशुद्धियॉ (उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले) तथा विवाद दिखाये जायेंगे जो वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जॉच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान में ज्ञात हुए हों।

नियम-19

[धारा 8 तथा 54(2) (घ)] -

चालू वार्षिक रजिस्टर की समस्त प्रविष्टियों की शत-प्रतिशत जॉच चकबन्दीकर्ता द्वारा उन्हें विगत वार्षिक रजिस्टर या रजिस्टरों और सम्बद्ध खसरों तथा पिछले बन्दोबस्त या अभिलेखों के पुनरीक्षण के समय तैयार किये गये अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों में भी मिलाकर की जायेगी। पाई गई अशुद्धियॉ तथा विवाद भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जायेंगे।

नियम-20

[धारा 8 तथा 54 (2) (घ)] -

नियम 19 में नियत रीति से वार्षिक रजिस्टर की जॉच हो जाने के पश्चात् चकबन्दीकर्ता द्वारा वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों की सत्यता की परीक्षा पूर्ण रूप से की जायेगी। यह कार्य गॉव में अभिलेख को पढ़कर और उसकी प्रत्येक प्रविष्टि, को गॉव में ही कहीं पर यथासम्भव अधिकाधिक संख्या में एकत्रित हुए जोतदारों को समझा कर किया जायेगा। वह सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के विचार भी, संयुक्त जोतों में उनके अंशों के सम्बन्ध में मालूम करेगा। पाई गई अशुद्धियॉ तथा विवाद और सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा इंगित किये गये इंश भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भो में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जायेंगे।

20-क, [धारा 8 एवं 54(2)(घ)]-

(क) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दीकर्ता द्वारा किये गये वार्षिक रजिस्टर के परीक्षण और सत्यापन कार्य की जॉच करेगा और धारा 8-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार कटक के लिए ''मानक गाटों'' का अवधारण भी करेगा।

(ख) ''मानक गाटों'' की सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 7-ख में तैयार की जायेगी और गॉव के नक्शे की एक प्रति के साथ प्रकाशित की जायेगी जिसमें ''मानक गाटों'' को लाल स्याही से दिखाया जायेगा। सूची प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियॉ गॉव के मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज की जायेगी। वह अपनी रिपोर्ट के साथ आपत्तियों को चकबन्दी अधिकारी के पास भेज देगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने और स्थल पर निरीक्षण करने के पश्चात आपत्तियों पर निर्णय देगा।

(ग) उपनियम (ख) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से पन्द्रह दिन के

भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष अपील कर सकता है जो सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने और यदि आवश्यक हो,

स्थल पर निरीक्षण करने, के पश्चात उस पर अपना निर्णय देगा। बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) की आज्ञा अन्तिम होगी और उस पर आपत्ति न की जा सकेगी।

नियम-21

[धारा 8 एवं 54(2)(घ)] -

नियम 19, 20 और 20-क में नियत वार्षिक रजिस्टर की जॉच और परीक्षा करने के पश्चात चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी समिति के साथ तथा गॉव के जितने खातेदारों को वह एकत्र कर सके, उनके साथ सभी गाटों की, खेत में जाकर पड़ताल करेगा और परिणामों को वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा, चकबन्दी में दर्ज करेगा। पड़ताल के समय पायी गयी अशुद्धियॉ तथा विवाद भी साथ ही साथ भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों को सूची के समुचित स्तम्भों में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दर्ज किये जायेंगे।

नियम-22

[धारा 8 एवं 54(2)(घ)]-

नियम 19, 20 और 21 में उल्लिखित अशुद्धियों और विवादों की सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में दो भागो में तैयार की जायेगी। भाग 1 में लिपिक अशुद्धियॉ रहेंगी और भाग 2 में ऐसी अन्य अशुद्धियॉ और विवाद रहेंगे, जो नियम 19 से 21 तक में अभिदिष्ट वार्षिक रजिस्टर की जॉच और सत्यापन तथा खेतवार पड़ताल के दौरान में मालूम हुए हों। संयुक्त जोतों में अभ्यर्पित अंशों के ब्यौरे भी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 के भाग 2 में अभिलिखित किये जायेंगे।

नियम-23

[धारा 8 और 54(2)(घ)]-

गॉव की खेतवार पड़ताल करते समय चकबन्दीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि गाटा सिंचाई योग्य है अथवा नहीं और इसके साथ ही वह खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 19 में प्रत्येक सिंचाई योग्य गाटे के सिंचाई का साधन और उसकी रीति इंगित करेगा। आधे से अधिक गाटा सिंचाई योग्य हो तो पूर्ण गाटा सिंचाई योग्य समझा जायेगा। गाटे का सिंचाई योग्य क्षेत्र खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 20 में अभिलिखित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- निम्नलिखित साधनों में सींचे गाटे सिंचाई योग्य समझे जायेंगे :

(i) नहर, नलकूप और अन्य कुॅए, जो टिकाऊ हों, कच्चे कुॅए सामान्यतया टिकाऊ न समझे जायेंगे, जब तक कि चकबन्दी समिति अन्यथा निर्णय न करे और यह निर्णय बन्दोबस्त अधीकारी (चकबन्दी) द्वारा पुष्ट न कर दिया जाय, और

(ii) नदियॉ, झीलें, तालाब, पोखरे और अन्य साधन, जिनसे किसी सामान्य वर्ष में पूरी फसल के सिंचाई प्रयोजन के लिए पानी मिलता हो।

नियम-24

[धारा 8 और 54 (2) (घ)]-

सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता द्वारा अपनी वार्षिक रजिस्टर की जॉच तथा सत्यापन और खेतवार पड़ताल के समय पाई गई अशुद्धियों और विवादों और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 में अभिलिखित अंशों की जॉच करेगा और इसके अतिरिक्त वह गॉव से कम से कम 20 प्रतिशत गाटों के सम्बन्ध में प्रविष्टियों की स्वयं पड़ताल करके चकबन्दीकर्ता के कार्य की जॉच करेगा। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किये गये कार्य की जॉच चकबन्दी अधिकारी और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे कि सभी अशुद्धियों, विवादों और संयुक्त जोतों में अंशों की विशिष्ट अशुद्धियों और विवादों को सूची में दर्ज कर दिया गया है।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी को सम्बद्ध गॉव के लिए चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध कियाओं में तैयार की गई मिटटी के वर्गीकरण के नक्शे की प्रति गॉव की एक खेतवार पड़ताल की जॉच करने से काफी पहले दी जायेगी।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध कियाओं के समय अवधारित मिटटी के वर्गीकरण के ब्यौरे नियम 18 के अधीन तैयार किये गये गॉव के नक्शे की प्रति में समाविष्ट करायेगा।

(4) तत्पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी, मानक गाटों की अन्तिम सूची की सहायता से कटक में प्रत्येक गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण करने का काम, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (2) से संलग्न स्पष्टीकरण के अंतर्गत आने वाले गाटों या गाटों के भागो को छोड़कर, जिसकी एक सूची जोत चकबन्दी आकार-पत्र 18 में तैयार की जायेगी, आरम्भ करेगा। गाटों का विनिमय अनुपात सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कटक के उतने खातेदारो से जितने वह एकत्र कर सकें, पूछताछ करने के पश्चात चकबन्दी समिति के परामर्श से अवधारित किया जायेगा। इस प्रकार अवधारित प्रत्येक गाटे का विमिय अनुपात, सम्बद्ध गाटे के विरूद्ध, सहायक चकबन्दी अधिकारी के हाथो जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क के स्तम्भ 28 में शब्दो में अभिलिखित किया जायेगा। इस प्रकार अवधारित प्रत्येक गाटे का विनिमय उपनियम (3) के अधीन तैयार किये गये नक्शे की प्रति में दिखाया जायेगा। प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात अवधारित करने में अग्रलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगा।

(i) चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध कियाओं में यथा अभिलिखित गाटे की वर्तमान मिटटी का वर्ग,

(ii) गाटे की मिट्टी के संघटक, सामान्यतया उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या और किस्म तथा उनको उपजाने के लिए अपेक्षित श्रम की प्रमात्रा द्वारा यथा निर्णीत उत्पादन शक्ति,

नोट :- उत्पादन शक्ति में अस्थायी या अनिश्चित वृद्धि या कमी पर विचार न किया जायेगा।

(iii) सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं की प्राप्यता,

नोट :- नहर द्वारा सिंचाइ की दशा में इस तथ्य पर, कि गाटे की सिंचाई ''तोड़'' या ''डाल'' द्वारा की जाती है अथवा नहीं, गूल के गाटे की निकटता और जल के परिमाण पर विचार किया जायेगा,

(iv) स्थिति, जिनका सम्बन्ध कृषि के व्यय या उनकी देखभाल या गाटे के उत्पादन के क्रय-विक्रय से है।

(5) प्रत्येक गाटे के विनिमय के अनुपात का ठीक अवधारण करने की अन्तिम जिम्मेदारी सहायक चकबन्दी अधिकारी की ही होगी।

(6) प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात, चकबन्दी संचालक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार उपनियम (3) में अभिदिष्ट कटक के नक्शे में दर्ज किया जायेगा।

(7) प्रत्येक गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण करते समय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से और कटक के उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात प्रतिकर के अवधारण के, प्रयोजजनों के लिए गाटे में स्थित प्रत्येक पेड़, कुँए तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य भी अवधारित करेगा। इस प्रकार अवधारित मूल्य जोत चकबन्दी आकार-पत्र 2-क में खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 12 में दर्ज किया जायेगा। पेड़ का मूल्य अवधारित करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी उसका बाजार मूल्य मालूम करने के उद्देश्य से उसकी आयु और किस्म पर विचार करेगा और कुँए तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य अवधारित करने में वह उसके प्रकार, आयु, मरम्मत और उपभोज्यता पर विचार करेगा। यदि वह ऐसा निर्णय करे तो सहायक चकबन्दी अधिकारी स्वयं किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) से आग्रह कर सकता है कि वह कुँए तथा अन्य समुन्नति के मूल्य का अनुपात सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी द्वारा करा ले। यदि किसी पेड़ कुँए, या अन्य समुन्नति पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व हो, तो प्रतिकर की धनराशि, जो अवधारित की जाय, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भिन्न-भिन्न सहस्वामियों में उनके अंशों के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात अविभाजित की जायेगी।

(8) चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक कटक के 10 प्रतिशत तक के गाटों के विनिमय अनुपात की जॉच, उनका मूल्यांकन के परिगणन, पेड़ों, कुँओं तथा अन्य समुन्नतियों के अवधारण के साथ-साथ करेगा। बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) भी प्रत्येक सहायक अधिकारी चकबन्दी के मण्डल की कम से कम 10 प्रतिशत कटकों में उपर्युक्त कार्य की जॉच, स्थल पर करेगा।

(9) नक्शे की प्रति, जिनमें उपनियम (4) के अधीन तेयार किये गये चकबन्दी योग्य गाटों के विनिमय अनुपात में दिखाये गये हों, धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अन्य अभिलेखों के साथ कटक में प्रकाशित की जायेगी।

धारा-8 क

सिद्धांतों का विवरण तैयार करना -

(1) सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के सम्बन्ध में एक विवरण (जिसे यहाँ आगे सिद्धांतों का विवरण कहा गया है) नियत आकार में तैयार करेगा जिसमें वे सिद्धान्त दिये गये होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबंदी क्रियाओं के करने में किया जायेगा।

(2) सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी-

(क) उन क्षेत्रों के ब्यौरे, जहां तक वे उस समय अवधारित किये जा सकें, जो आबादी के प्रसार, (जिसके अंतर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी हैं) तथा ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, जो नियत किये जाएं विनिर्दिष्ट किये जायेंगे,

(ख) वह आधार, जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे, और

(ग) उस भूमि के ब्यौरे, जो 1950 ई0 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951) के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 या 117-क के अधीन गॉव सभा या स्थानीय अधिकारिकी (स्थानीय प्राधिकारिकी) में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(घ) प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा,

(3) सहायक चकबंदी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिटटी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबंदी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा।

नियम- 24 क

[धारा 8-क और 54]-

(1) ''सिद्धान्तों का विवरण'' स्वयं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जोत चकबन्दी द्वारा आकार पत्र 21 में चकबन्दी समिति के परामर्श से और उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात तैयार किया जायेगा। विवरण के सिद्धांतों को समाविष्ट करने के कारण दिये गये होंगे और उसके साथ कटक के नक्शे की एक प्रति होगी, जिसमें निम्नलिखित दिये जायेंगे :

(i) ''कटक के मानक गाटे'' जैसा कि वे नियम 20-क के अधीन अवधारित हों।

(ii) वर्तमान स्थायी विशेषताएं, जैसे आबादी स्थल, नहरें, गूलों के साथ उनके राजबहों, सड़के, बाग, कुँए, नाले, नालियॉ, कब्रिस्तान, शमशान और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अन्य क्षेत्र :

(iii) खण्ड (ii) में उल्लिखित किन्हीं दो मदों के स्थल, सिधाई या लम्बाई चौड़ाई में प्रस्तावित परिवर्द्धन या

परिवर्तन और

(iv) किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के विनिर्दिष्ट क्षेत्र।

(2) आबादी के प्रसार के लिये जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की वर्तमान ओर भावी आवश्यकताओं के लिए आबादी स्थलों के लिए क्षेत्र भी हैं, भूमि के आरक्षण के अतिरिक्त, प्रत्येक कटक की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित की जा सकती है :

(i) खाद के गड्ढे

(ii) सड़क ग्राम और अर्न्तग्राम रास्ते

(iii) चारागाह

(iv) खलिहान

(v) खेल का मैदान

(vi) प्राथमिक तथा अन्य विद्यालय

(vii) अस्पताल

(viii) पंचायत घर

(ix) वृक्षारोपण

(x) शमशान और कब्रिस्तान

(xi) सिंचाई प्रयोजनो के लिए जल कुल्प (वाटर चैनल), गूलें या नालियॉ और नहरें

(xii) निस्वत्व स्थल, और

(xiii) इसी प्रकार के कोई अन्य उद्‌देश्य, जिनके लिए कटक के खातेदारों के हित में भूमि का आरक्षण आवश्यक समझा जाय।

नोट :- उन आबादी स्थलों को शामिल करते हुए, उपरोक्त निर्दिष्ट सभी प्रयोजनों का आरक्षण अलग से वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए किया जायेगा।

(3) सिद्धान्तों का विवरण तैयार करते समय कटक की प्रत्येक विशिष्ट समस्या पर, जिसका सम्बन्ध चकों के समान प्रदेशन से हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति ध्यान देगी। जिन सिद्धान्तों पर, इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रस्ताव हो, उन्हें अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप होना चाहिए और उन्हें विवरण में अवश्य समाविष्ट किया जाना चाहिए।

विवरण में नियम 20-क के अधीन अवधारित ''मानक गाटों'' के ब्यौरे भी दिये जाएँगे।

(4) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति में सिद्धान्तों के विवरण में किसी विषय पर मतभेद हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी विषयों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी तैयार करेगा और उसे चकबन्दी अधिकारी को भेज देगा।

(5) यदि चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी समिति के मतभेद को सुलझाने में असमर्थ हों तो वह मतभेद के प्रत्येक विषय पर अपनी राय के साथ अभिलेख को बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास भेज देगा।

(6) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी), चकबन्दी समिति की सुनवाई करने क`पश्चात उपनियम (5) के अधीन अभिदिष्ट विषय पर अपना निर्णय देगा।

नियम 24-ख. सिद्धांतों का विवरण, नियम 24-क के उपनियम (1) के अधीन तैयार किये गये नक्शे के साथ, कटक में प्रकाशित किया जायेगा।

नियम 24-ग. अधिनियम की धारा 9 के अधीन सिद्धांतों के विरूद्ध सभी आपत्तियॉ लिखित रूप में प्रस्तुत की जायेंगी और प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। उनमें स्पष्ट रूप से वह रीति दी जायेगी जिससे आपत्तिकर्ताओं के हित पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

नियम 24-घ. चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) जैसी भी दशा हो, धारा-9ख के अधीन कटक का स्थानीय निरीक्षण करते समय या धारा 11 के अधीन अपील पर निर्णय देने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण ज्ञाप तैयार करेगा और उसे उस पत्रावली में रखेगा जिसमें उसकी आज्ञा हो।

❖

धारा-9

अभिलेखों तथा विवरणों के उद्धरण जारी करना और धारा 8 तथा 8-क में उल्लिखित अभिलेखों को प्रकाशित करना और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करना- (1) धारा 8 तथा 8-क में उल्लिखित अभिलेखों तथा विवरणों के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबंदी अधिकारी-

(क) यदि कोई लिपिक अशुद्धियां हों, तो उन्हें सही करेगा और सम्बद्ध खातेदारों तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें चालू वार्षिक रजिस्टर और अन्य ऐसे अभिलेखों के, जो नियत किये जायें, सम्बद्ध उद्धरण हों और जिनसे निम्नलिखित बातें प्रकट हों-

(i) उनके भूमि में अधिकार और उसके सम्बन्ध में दायित्व,

(ii) उसके सम्बन्ध में धारा 8 के अंतर्गत पायी गयी अशुद्धियॉ (उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले) और विवाद,

(iii) उचित चकबंदी सुनिश्चित करने के निमित्त विभाजन आवश्यक होने पर उसके प्रयोजनार्थ संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का विशिष्ट अंश,

(iv) गाटों का मूल्यांकन, और

(v) पेड़ों, कुँओं और अन्य समुन्नतियों का प्रतिकर आंकलित करने के लिए उनका मूल्यांकन तथा यदि उनके एक से अधिक स्वामी हों तो उसका अभिभाजन,

(ख) चालू खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबंदी, धारा 8-क के अधीन तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण तथा कोई अन्य अभिलेख, जो अन्य बातों के साथ-साथ खण्ड (क) में उल्लिखित अन्य ब्यौरे दिखाने के लिए नियत किये जायें, कटक में प्रकाशित करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजा गया हो, या स्वत्व रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति नोटिस प्राप्त होने के या उपधारा (1) के उद्धरणों के अधीन प्रकाशन के 21 दिन के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्तियॉ प्रस्तुत कर सकता है, जिनमें अभिलेखों या उसमें से लिये गये उद्धरणों के इन्दराजों की शुद्धता अथवा उनके प्रकार के सम्बन्ध में या सिद्धान्तों के विवरण के सम्बन्ध में या विभाजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो।

नियम-25

[धारा 9 (1) और 54(2)(घ)]-

(क) सहायक चकबन्दी अधिकारी, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 4 की सूची के भाग 1 में दर्ज की गई सभी लिपिकीय अशुद्धियों की शुद्धता के लिए, जहॉ आवश्यक हो, गॉव के पहले के भौमिक अभिलेखों को देखकर भौमिक अभिलेख की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में अपने हाथ से आज्ञा देगा। तब यह आज्ञाएं लेखपाल द्वारा वार्षिक रजिस्टर के सम्बद्ध खातो में लिखी जाएँगी और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित की जायेंगी। सहायक चकबन्दी अधिकारी जॉच द्वारा अपना यह समाधान करेगा कि उसकी आज्ञाएँ वार्षिक रजिस्टर में सही-सही अभिलिखित की गयी हैं।

(ख) उपनियम (क) में उल्लिखित सहायक चकबन्दी अधिकारी की आज्ञाओं के कार्यान्वित होने के पश्चात् उन नोटिसों की, जिनमें वार्षिक रजिस्टर के सभी खातो के सम्बन्ध में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 5 में संगत उद्धरण दिये हों, और (यदि आवश्यक हो) जोत चकबन्दी आकार-पत्र 5-ख में नोटिसों की आवश्यक संख्या में प्रतियॉ चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार की जाएंगी और चकबन्दीकर्ता द्वारा उनकी जॉच की जायेगी। उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 20 प्रतिशत नोटिसों की जॉच सहायक चकबन्दी अधिकारी भी करेगा।

(ग) (i) जोत चकबन्दी आकार-पत्र 5 में और यदि आवश्यक हो, तो जोत चकबन्दी आकार पत्र 5-ख में भी नोटिस, सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर से क्रमशः सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को जारी की जायेगी।

(ii) सरकारी विभागों की भूमि के सम्बन्ध में नोटिस, स्थानीय जिला कार्यालय के अध्यक्षों (जिनके अन्तर्गत

निष्क्रांत सम्पत्ति के सहायक अभिरक्षक भी हैं) को भेजी जायेगी। ग्रामसभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारियों की या उसमें निहित भूमि के सम्बन्ध में नोटिस, ग्रामसभा के प्रधान या स्थानीय प्राधिकारिकी के चेयरमैन, जैसी भी दशा हो को भेजी जायेगी।

(iii) खण्ड (i) और (ii) के अधीन जारी की गयी नोटस की कार्यालय प्रतियॉं तब तक सामान्य ग्राम पत्रावली में रखी जाऍंगी जब तक कि उनके लिए पृथक पत्रावलियॉं न बना दी जाऍं। सामान्य ग्राम पत्रावली में उसकी विषय सूची की यथोचित अनुक्रमणिका होगी।

(घ) [निरसित]

(ङ) (1) आपत्तिकर्ता निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक आपत्तियॉं प्रस्तुत करेगा।

(i) संयुक्त जोतो में व्यक्तिगत खातेदारों के अंशों की विशिष्टता के साथ भूमि के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व और विभाजन से सम्बद्ध अन्य सजातीय विषय, और

(ii) गाटों, पेड़ों, कुँओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी आपत्ति केवल इस कारण खारिज न की जायेगी कि उपखण्ड (क) और (ख) में अभिदिष्ट विषयों के सम्बन्ध में संयुक्त आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी खण्ड (i) के उपखण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित आपत्तियों की दो श्रेणियों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में पृथक वाद पत्रावलियॉं खुलवायेगा।

(च) उपनियम (ङ) के खण्ड (i) में उल्लिखित दो श्रेणियो में से प्रत्येक से सम्बद्ध मामले प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जोत चकबन्दी आकार पत्र 6 में एक मिसिलबन्द रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किये जायेंगे।

धारा-9 क - भूमि पर दावों तथा संयुक्त जोतों की विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण-1 सहायक चकबंदी अधिकारी उस दिशा में

(1) एक जग भूमि पर दावा या संयुक्त जूतों के विभाजन के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत की गई हो तो संबंधित प्रश्नों की सुनवाई करने के पश्चात और

(2) जब ऐसी कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गई हो तो ऐसी जांच करने के पश्चात जो व आवश्यक समझे

अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पशुओं में समझौता करार करा कर जहां तक संभव हो विवाद का निपटारा करेगा अशुद्धियों को ठीक करेगा और विभाजन करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आज्ञाएं पारित करेगा

चिंटू प्रबंध किया है कि जहां सहायक चकबंदी अधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा व आवश्यक समझे या समाधान हो जाए की उत्तराधिकारी का मामला निर्विवाद है वहां वह मामले का निस्तारण की जांच के

आधार पर करेगा

वे सभी मामले जो उपधारा 1 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निस्तारित ना किए गए हो तथा घाटों के मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले और वह सभी मामले जिनका संबंध पेड़ों को तथा अतिथियों का प्रतिफल अंकित करने के लिए उनके मूल्यांकन तथा विधि एक से अधिक स्वामी हो तो उसको 60 सालों में विभाजित करने से सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा चकबंदी अधिकारियों को भेजे जाएंगे जिनका निस्तारण नेतृत्व करेगा उप द्वारा वन के अधीन कार्य करता हुआ सहायक चकबंदी अधिकारी और धारा के अधीन कार्य करता हुआ चकबंदी अधिकारी समय किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुए भी सक्षम न्यायालय माना जाएगा

धारा-9 ख- सिद्धांतों के विवरण पत्र पर की गई आपत्तियों का निस्तारण-

(1) जब धारा-9के अधीन सिद्धांतों के विवरण के वि—द्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई हो सहायक चकबंदी अधिकारी संबंध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और चकबंदी समिति के दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट चकबंदी अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जो आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(2) यदि सिद्धान्तो के विवरण के विरूद्ध धारा-9 में नियत समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो तो उसकी शुद्धता की परीक्षा करने की ष्टि से चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति को उचित सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् सिद्धांतों के विवरण में ऐसे परिष्कार या परिवर्तन कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा-1 या उपधारा-2 के अधीन चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका निर्णय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(4) आपत्ति या अपील पर निर्णय देने से पहले चकबंदी अधिकारी तथा बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संबद्ध पक्षों तथा चकबंदी समिति को पूर्व सूचना देने के पश्चात कटक का स्थानीय निरीक्षण करेगा।

धारा-9 ग- संयुक्त जोतों का विभाजन -

(1) सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी धारा-9क के अधीन संयुक्त जोतों का विभाजन कर सकते है भले ही 1950ई0 केउत्तर प्रदेश जमीनदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 178 में या किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बात की दी गई हो और वे उसका विभाजन स्वतः भी कर सकते हैं।

(2) संयुक्तजोतों का विभाजन अंशो के आधार पर किया जाएगा किंतु प्रतिबंध यह है कि यदि संबंध खातेदार सहमत हों तो विभाजन विशिष्ट गाटों के आधार पर किया जा सकता है।

नियम-25 क (धारा 9-क, धारा 9-ख व धारा 9-ग)-

(1) सहायक चकबंदीअधिकारी यथासंभव घारा-9क की उपधारा-1 के खंड-1 और उपधारा-1 में अभिदिष्ट विषयों

के संबंध में खातेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सभी आपत्तियों पर गांव ही में कार्यवाही करेगा। धारा-9 क की उपधारा-1 के अर्थों में समझौते के आधार पर विवादों का निर्णय करने में गांवों की चकबंदी समिति के कम से कम 2 सदस्यों की उपस्थिति में समझौते की शर्तों को अभिलिखित करेगा। तत्पश्चात् सम्बद्ध पक्षों को यह शर्तें पढ़कर सुना दी जायेंगी और उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाएंगे। चकबंदी समिति के उपस्थित सदस्य भी समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करेंगे तत्पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी विवादों के समझौते की शर्तों के अनुसार निर्णय करते हुए अभिलेखों में की जाने वाली यथार्थ प्रविष्टियों को निर्दिष्ट करने की आज्ञा दे देगा सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाओं के प्रवर्ती भाग के ब्यौरेमिसिलबंद रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। सहायक चकबन्दी अधिकारी पक्षों की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आज्ञायें नहीं देगा।

(2) उन समस्त मामलों में जिसमें सहायक चकबंदी अधिकारी धारा-9क की उपधारा-2 या धारा-9ख की उपधारा-1 के उपबंधों के अधीन चकबंदी अधिकारी को निस्तारण के लिए रिपोर्ट भेजें व चकबंदी अधिकारी द्वारा मामलों के निस्तारण के लिए दिनांक और स्थान नियत कर सकता है और उसकी सूचना अपने समक्ष उपस्थित पक्षों को देगा और जो पक्ष इस प्रकार उपस्थित ना हो उन्हें जोत चकबंदी आकार पत्र-6क में नोटिस जारी करेगा इन मामलों पर सहायक चकबंदी अधिकारी की रिपोर्ट में पक्षों के मध्य विवाद ग्रस्त विषयों और उनका समाधान करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का स्पष्ट रूप में उल्लेख होगा।

नियम-26 (धारा-9क) -

(1) सहायक चकबंदी अधिकारी से प्राप्त मामले चकबंदी अधिकारी के कार्यालय में जोत चकबंदी आकार पत्र-6 में मिसिलबंद रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

(2) नियम-25क के उपनियम-2 केअधीन नियत दिनांक को या उक्त प्रयोजन के लिए नियत किसी अनुवर्ती दिनांक को चकबंदी अधिकारी पक्षों की सुनवाई करेगा विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में विवाद बिंदु बनाएगा मौखिक और लेख्य दोनों साक्ष्य लेगा और आपत्तियों पर निर्णय देगा।

(3) ऐसे नोटिस जो चकबंदी अधिकारी को किसी विवाद में निस्तारण के संबंध में किसी व्यक्ति को जारी करना आवश्यक हो जोत चकबंदी आकार पत्र-6क में होगी।

(4) यदि संयुक्त जोतों के सभी खातेदार विभाजन का विरोध करें और चकबंदी अधिकारी को समाधान हो जाए की प्रत्येक सहखातेदार का विरोध यथार्थ है तो वह विभाजन की कार्यवाही तब तक आरम्भ नहीं करेगा जब तक की वह उन कारणों से जो कि उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे अच्छी हदबंदी के हित में ऐसा करना आवश्यक ना समझे।

(5) गाटे के विनियम अनुपातका अवधारण या गाटे पर स्थित पेड़, कुएं या अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन करने से संबंध विवाद का निर्णय करने के लिए चकबंदी अधिकारी संबंध गाटों का स्थानीय निरीक्षण करेगा, ज्ञाप तैयार करेगा और उन्हें संबंध पत्रावली में रखेगा।

नियम 27-(धारा 9क और 54)-चकबंदी लेखपाल धारा 9क के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी द्वारा-

(1) भूमि में अधिकार और भूमि के संबंध में दायित्व।

(2) गाटे, पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियोंके मूल्यांकन और

(3) संयुक्तजोतों के विभाजन-

(क) के संबंध में दी गई आज्ञायें आधार खतौनी।

(ख) जोत चकबंदी आकार पत्र-2क में खसरा चकबंदी और

(ग) जोत चकबंदी आकार पत्र-11 में पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के (जैसे ही वह तैयार हो जाए) संगत स्तंभों में क्रमशः दर्ज करेगा।

वहवाद संख्या आज्ञा का दिनांक और उसके प्रवर्ती भागों को उपर्युक्त अभिलेखों में दर्ज करेगा चकबंदी लेखपाल द्वारा की गई प्रविष्टियों की शुद्धता चकबंदी कर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी। सहायक चकबंदी अधिकारी भी कम से कम 20 प्रतिशत प्रविष्टियों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि वे ठीक से कर ली गई हैं।

❖

धारा 10

पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार करना और रखना-

(1) वार्षिक रजिस्टर फिर धारा-9क की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन दी गई आज्ञाओं के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा तत्पश्चात वहनियत आकार में तैयार किया जाएगा तथा कटक में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) जब उपधारा-1 के अधीन प्रकाशित वार्षिक रजिस्टर के किसी इंद्राज का इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसरण में परिष्कार किया जाए तो उस आज्ञा का निर्देश और उसके प्रवर्ती भाग का उद्धरण उक्त इंद्राज के सामने दर्ज किया जाएगा।

नियम-28- धारा-10 (2)-

(1) तत्पश्चात् चकबंदी लेखपाल द्वारा जोत चकबंदी आकार पत्र-11 में एक पुनरीक्षिक वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें भाग-9क की उपधारा-1 के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी और धारा-9क की उपधारा 2 के अधीन चकबंदी अधिकारी द्वारा दी गई भूमि में अधिकार और भूमि के संबंध में दायित्वों से संबंध

सभी आज्ञाएं और नियम 27-क के अधीन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा दी गई आज्ञायें भी समाविष्ट रहेंगी। विभाजन और समायोजन के मामले में दी गई आज्ञाओं के प्रवर्ती भागों के ब्यौरे रजिस्टर के समुचित स्तंभ में अभिलिखित किए जाएंगे। अभिलेख की जांच मंडल के चकबंदी कर्ता सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी द्वारा की जाएगी। अभिलेख की प्रविष्टियों की जांच करने वाला अधिकारी अपनी जांच के प्रतीक स्व--प उन पर आद्याक्षर करेगा।पुनरीक्षिक वार्षिक रजिस्टर पर चकबंदी लेखपाल, चकबंदीकर्ता, सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा।तत्पश्चात् यह धारा-10 की उपधारा-1 के अधीन गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

(1-क) जोत चकबंदी आकार पत्र 10-क में हिंदी में एक वर्णक्रम सूची जिसमें खातेदार की समस्त जोतों को एक स्थान पर दिखाया जाएगा, चकबंदी लेखपाल द्वारा विभाजन और संयोजन आज्ञाओं को जैसा की जोत चकबंदी आकार पत्र-11 में दिखाया गया है समाविष्ट करने के पश्चात तैयार की जाएगी और चकबंदीकर्ता और सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाएगी। सूची की प्रविष्टियों की जांच करने वाला अधिकारी उन पर अपनी जांच के प्रतीक स्वरूप आद्याक्षर करेगा।

(2) वार्षिक रजिस्टर में सभी कटे हुए लेखों और उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जो लेखों को काटने या उपरिलेखन के लिए उत्तरदाई हो तथा सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षर किए जाएंगे और दिनांक लिखा जाएगा। उन्हें तब जोत चकबंदी आकार पत्र-6ख अशुद्धि पत्र में दर्ज किया जाएगा जिसे कार्बन की दो प्रतियों में चकबंदी लेखपाल तैयार करेगा। अशुद्धि पत्र पर चककबंदीकर्ता और सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अशुद्धि पत्र की एक प्रति मंडल के चकबंदी अधिकारी को उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेजी जाएगी।

नियम-29 (धारा-10)-

धारा-11 और 48 के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणामस्वरूप यदि आवश्यक हो तो नियम 27-क के अधीन मूल जोत चकबंदी आकार पत्र-7 तैयार किए जाने के पश्चात जोतों पर मालगुजारी में किए गए परिवर्तनों को दिखाने के लिए नियम-27क के उपनियम-1, 2 और 3 के अधीन नियत रीति से अनुपूरक जोत चकबंदी आकार पत्र-7 में तैयार किया जाएगा।

❖

धारा-11

अपील-

(1) धारा-9क के अधीन होने वाली कार्यवाहियों का कोई पक्ष जो उस धारा के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो उस आज्ञा के दिनांक से 21 दिन के भीतर बंदोबस्त अधिकारी

चकबंदी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अधिकारी संबद्ध पक्षो को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर अपना निर्णय देगा जो कि इस अधिनियम द्वारा अथवा उसकी अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) उपधारा-1 के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सक्षम न्यायालय समझा जाएगा भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई विपरीत बातें दी हों।

धारा 11-क आपत्तियों पर रोक-

चकबंदी क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी भी ऐसे प्रश्न को जो धारा-9 के अधीन उठाया गया हो या उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था परंतु उठाया नहीं गया हो, चकबंदी कार्यवाहियों की किसी बाद की अवस्था में न तो उठाया जाएगा और न उसकी सुनवाई की जाएगी-

(1) भूमि के दावे,

(2) संयुक्त जोतों का विभाजन, और

(3) यदि प्रश्न धारा 10 के अधीन वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित गाटे के खातेदार या पेड़ों, कुओं या अन्य समुन्नतियों के स्वामी द्वारा उठाया जाए जो गाटों, पेड़ों तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन।

धारा 11-ग-धारा-9-क के अधीन किसी आपत्ति या धारा-11 के अधीन अपील अथवा धारा-48 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) अथवा चकबंदी निदेशक, जैसी भी दशा हो यह निर्देश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकारी में निहित हो उसके नाम से अभिलिखित की जाए, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा या निकाय या प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो।

❖

धारा-12

पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित अधिकारों अथवा स्वत्वों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारो से सम्बद्ध मामलों का निर्णय-

(1) धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित पुनरीक्षित अभिलेखों में अभिलिखित किन्हीं अधिकारो या स्वत्वों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहारों से सम्बद्ध समस्त मामले, जिनके लिए वादकरण तब विद्यमान नहीं था, जब धारा-7 से 9 तक की कार्यवाहियां प्रारंभ की गई थी अथवा चल रही थी, उनके उत्पन्न होने पर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष उठाए जा सकते हैं किंतु धारा 52 अथवा धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात नहीं।

(2) यदि उपधारा-1 के अधीन कोई मामला उठाया जाए तो उसकी सुनवाई तथा निर्णय पर धारा-7 से 11 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उपयुक्त धाराओं के अधीन उठाया गया मामला हो।

नियम-30

(क) अधिनियम की धारा-12 में उल्लिखित मामले जिस आकार-पत्र में सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये जायें वे जोत चकबन्दी आकार पत्र-6 (ग) में होंगे।

(ख) भाग-22 के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाए गये मामलों का निर्णय करने में नियम-25(क) से 27 तक और 29 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक परिवर्तन के साथ किया जायेगा।

❖

धारा-19

चकबन्दी योजना द्वारा शर्तों का पूरा किया जाना- (1) चकबन्दी योजना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात-

(क) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, खातेदार के अधिकार तथा दायित्व, जैसे कि वे धारा-10 के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित हों, उसे (खाते को) प्रदिष्ट भूमियों में सुरक्षित रहें,

(ख) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दिये गये अंशदानों के कारण की गई कटौतियां, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, खातेदार को प्रदिष्ट गाटों का मूल्यांकन उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों के मूल्यांकन के बराबर हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उस दशा के जब चकबन्दी संचालक ने तदर्थ अनुज्ञा दे दी हो, खातेदार को प्रदिष्ट जोत या जोतों के क्षेत्रफल और उसकी मूल जोत या जोतों के क्षेत्रफल का अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ग) इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित प्रतिकर निम्नवत् दिया जाए -

(1) **खातेदार को -**

(i) उन पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के लिए, जो उसके द्वारा मूलतः धृत थे और जो दूसरे खातेदार को प्रदिष्ट कर दिये गये हों, और

(ii) सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिए,

(2) यथास्थिति, ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को विकास के लिए, यदि कोई हो, जो उसने

उस भूमि पर की हो, जो उसकी हो और किसी खातेदार को प्रदिष्ट कर दी गई हो।

(घ) सिद्धान्तों के विवरण में दिये गये सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाए।

(ड़) प्रत्येक खातेदार को, यथा-सम्भव, उस स्थान पर जहाँ उसके पास अपनी जोत का सबसे बड़ा भाग हो, संहृत क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उप संचालक चकबन्दी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी खातेदार को तीन से अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये जा सकते :

प्रतिबन्ध यह भी है कि की गई कोई भी चकबन्दी केवल इसलिए अवैध न मानी जाएगी कि किसी खातेदार के पास प्रदिष्ट चक तीन से अधिक हैं,

(च) प्रत्येक खातेदार को, यथा-सम्भव, वह गाटा प्रदिष्ट किया जाए, जिसमें उसका सिंचाई का निजी साधन या कोई अन्य समुन्नति विद्यमान हो और साथ में उसके निकट का ऐसा क्षेत्र प्रदिष्ट किया जाए, जिसका मूल्यांकन लगभग उतना ही हो, जितना कि वहाँ पर उसके द्वारा मूलतः धृत गाटों का था, और

(छ) प्रत्येक खातेदार को, यथा-सम्भव, समकोण निर्माण कटकों में समकोण निर्माण की प्रक्रिया के अनुकूल चक प्रदिष्ट किये जायें।

(2) कोई भी चकबन्दी योजना, धारा-23 के अधीन उसे अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व, धारा-19-क के उपबन्धों के अनुसार प्रारम्भिक रूप से तैयार की जाएगी।

धारा-19 (क) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार किया जाना-

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति के परामर्श से, नियत आकार में, कटक के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करना।

(2) इस अधिनियम में या उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सहायक चकबन्दी अधिकारी के लिए, जहाँ उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, यह विधिसंगत होगा कि वह मूल्यांकन करने के पश्चात् 2(कोई भूमि जो राज्य सरकार की हो या) कोई भी भूमि, जो उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1951) की धारा 117 या 117-क के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के फलस्वरूप ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो, किसी भी खातेदार को प्रदिष्ट करें:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी कोई भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती हो, तो वह भूमि सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में यह प्रख्यापन करने के पश्चात् ही प्रदिष्ट की जाएगी कि सार्वजनिक तथा समस्त व्यक्ति विशेषों के उस भूमि में उस पर अधिकारों को किसी अन्य भूमि में जो प्रख्यापन

में निर्दिष्ट हो और जो उक्त प्रयोजन के लिए प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में विनिर्दिष्ट हो, संक्रमित करने का प्रस्ताव है।

नियम-46 (धारा-19 क) -

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के सदस्यों से परामर्श करके तथा उतने खातेदारों से, जितने वह जमा कर सके, जाँच करके जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करेगा।

(1-क) उपनियम (1) के अधीन बनाई गई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के साथ कटक के नक्शे की प्रतिलिपि भी संलग्न होगी जिसमें खातेदारों को दिये गये प्लाटों और सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त निकाली गई भूमि का स्थान दिखाया जायेगा।

(2) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में जहाँ कहीं कटे हुए लेख और उपरिलेख हों, वहाँ पर वह व्यक्ति जो उनके उत्तरदायी हों, और सहायक चकबन्दी अधिकारी भी संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे तथा दिनांक लिखेंगे। प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में एक अशुद्धि-पत्र जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6-ख में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। अशुद्धि-पत्र की एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेज दी जायेगी।

नियम-47 (धारा-19-क) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में निम्नलिखित का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया जायेगा :

(1) खातेदारों के असामियों को प्रदिष्ट की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और उसके लिए देय लगान।

(2) किसी जोत का भार, भार की धनराशि, उस व्यक्ति का नाम, जिसके पक्ष में भार हो और भार का प्रकार और उसकी शर्तें।

(3) आबादी की भूमि अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए काम में लाई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल जिसको चकबन्दी की योजना में, किसी जोत के साथ मिला देने का प्रस्ताव हो और जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्मित किया गया हो।

❖

खण्ड-ख

भाग-2

खण्ड-ख

भाग-2

चक सृजन एवं चकबन्दी योजना का पुष्टिकरण तथा चकों पर कब्जा परिवर्तन

❖

धारा-20

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का प्रकाशित किया जाना और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्राप्त करना -

(1) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के तैयार हो जाने पर, सहायक चकबन्दी अधिकारी, सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को नोटिस भेजेगा या भिजवायेगा, जिनमें उक्त योजना से लिए गये सम्बद्ध उद्धरण दिये होंगे। तत्पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना कटक में प्रकाशित की जाएगी।

(2) धारा 11-क में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन नोटिस भेजी गयी हो, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना से प्रभावित कोई अन्य व्यक्ति, जो प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की प्रविष्टियों या उससे लिये गये उद्धरणों के औचित्य या शुद्धता पर आपत्ति करे, यथास्थिति, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से या प्रारम्भिक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तत कर सकता है।

(3) कोई भी प्रभावित व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या उस पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, या ऐसा अन्य स्वत्व या अधिकार प्राप्त हो, जिस पर धारा 19-क की उपधारा (2) के अधीन किये गये प्रख्यापन से स्वतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के प्रकाशित होने के दिनाँक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी के समक्ष, यह बताते हुए, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है कि उस स्वत्व का अधिकार किस प्रकार का है।

नियम-48 (धारा-20)

प्रत्येक खातेदारों के सम्बन्ध में और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिसका स्वामित्व किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारियों के पास है, या जो उनमें निहित हैं, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 24 में नोटिसों के साथ जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना से लिए गए संगत उद्धरण चकबन्दी लेखपाल द्वारा दो प्रतियों में तैयार किये जायेंगे। चकबन्दीकर्ता द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात् व सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये

जायेंगे। उद्धरण की एक प्रति समबद्ध खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के चेयरमैन या स्थानीय प्राधिकारी पर, जैसी की दशा हो, कटक में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना प्रकाशित किये जाने के पूर्व तामील की जायेगी। उद्धरण की कार्यालय प्रति सामान्य ग्राम पत्रावली में रखी जायेगी, जिसे यथोचित रूप से अनुक्रमित किया जायेगा।

नियम 48-ख (धारा-20)

चकबन्दी के प्रस्ताव जो उद्धरणों में हों, चकबन्दी लेखपाल और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रत्येक खातेदारों को उन मामलों में, जिनमें यह आवश्यक हो, स्थल पर प्रारम्भिक सीमांकन करके समझाये जायेंगे। सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी यथासम्भव अधिक से अधिक खातेदारों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करके, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन अनुदेशों का यथावत् पालन किया गया है।

❖

धारा-21

कथन पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण-

[1](1) सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियाँ तदर्थ नियत कालावधि की समाप्ति के पश्चात् उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जाएंगी, जो कि एतस्मिन-पश्चात् व्यवस्थित रीति से सम्बद्ध पक्षकारों तथा चकबन्दी समिति को नोटिस देने के पश्चात् उन्हें और साथ-ही-साथ अपने को प्राप्त आपत्तियों को भी निस्तारित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से [2](15) दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय, सिवाय उस दशा में जबकि अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम में, अन्यथा व्यवस्था हो, अन्तिम होगा।

(3) यदि किसी आपत्ति के निस्तारण या अपील की सुनवाई के दौरान, यथास्थिति, चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की यह राय हो कि, यथास्थिति, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या बाद में चकबन्दी अधिकारी द्वारा परिष्कृत की गई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के कार्यान्वयन से बहुत से खातेदारों के साथ सारतः अन्याय होने की सम्भावना है, और प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण किये बिना अथवा नंई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार किये बिना कटकों के खातेदारों को भूमि का ठीक और उचित प्रदेशन सम्भव नहीं है, तो उन कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जाएगा-

(i) चकबन्दी अधिकारी के लिए यह अवैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे या उसे ऐसे निर्देशों सहित, जिन्हें चकबन्दी

अधिकारी आवश्यक समझे, सहायक चकबन्दी अधिकारी को वापस कर दे, और

(ii) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के लिए यह वैध होगा कि वह सम्बद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का पुनरीक्षण करे या उसे सहायक चकबन्दी अधिकारी या चकबन्दी अधिकारी को, जैसा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी उचित समझे, ऐसे निर्देशों के साथ वापस कर दे, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

नियम-49 (धारा-21)

(1) सहायक चकबन्दी अधिकारी को प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ उसके द्वारा चकबन्दी अधिकारी को भेज दी जायेंगी और साथ में वह सामान्य ग्राम पत्रावली भी भेज दी जायेगी, जिसमें नियम 48 के अधीन जारी किये गये जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में उद्धरण की कार्यालय प्रतिलिपि होगी।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले के लिए, जिसमें अधिनियम की धारा-20 के अधीन आपत्तियाँ प्राप्त हों, पृथक् पत्रावली खोली जायेगी। एक पत्रावली एक ही सेट के पक्षों के सम्बन्ध में होगी। सभी आपत्तियाँ चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में एक मिसिलबन्द रजिस्टर में जोत चकबन्दी आकार-पत्र 6 में दर्ज की जायेंगी। ऐसे उद्धरण जिनके सम्बन्ध में कोई आपत्तियाँ प्राप्त न हुई हों सामान्य ग्राम पत्रावली में रहेंगे, जिसके साथ एक समुचित सूची नत्थी की जायेगी, जिसमें उद्धरणों के ब्यौरे दिये होंगे।

(3) यदि चकबन्दी अधिकारी आपत्ति को अस्वीकृत करे, तो वह आपत्ति की स्वीकृति की नोटिस खातेदार पर तामील करवायेगा। किन्तु यदि किसी आपत्ति को स्वीकार करने के फलस्वरूप चकबन्दी अधिकारी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में एक संशोधित उद्धकरण बिना शुल्क के ही सम्बद्ध खातेदार के पास भिजवायेगा। धारा-21 की उपधारा (1) के अधीन आपत्ति उस समय तक निस्तारित नहीं समझी जायेगी जब तक कि यथास्थिति आपत्ति को अस्वीकार करने की पूर्वोक्त नोटिस या संशोधित उद्धरण सम्बद्ध खातेदार पर तामील न किया जाये।

(4) उक्त नोटिस अथवा संशोधित उद्धरण की दो प्रतियाँ तैयार की जायेंगी, जिन पर चकबन्दी अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उसकी मुहर अंकित होगी। तामील करने वाला अधिकारी एक प्रति पर तामील की स्वीकृति का अनुलेख करने के पश्चात् दूसरी प्रति खातेदार को उस पर तामील के दिनांक का अनुलेख करके देगा। पहली प्रति, जिस पर खातेदार की प्राप्ति और उस पर तामील होने का दिनाँक अंकित होगा, सम्बद्ध मामले के अभिलेख में रखी जायेगी।

(5) यदि धारा-21 की उपधारा (2) के अधीन अपील पर निर्णय देते समय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में कोई परिवर्तन करे, तो वह सम्बद्ध खातेदार की जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 में एक पुनरीक्षित उद्धरण जारी करायेगा।

(6) यदि धारा-48 के अधीन पुनरीक्षण पर निर्णय देते समय चकबन्दी संचालक प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में, जैसा कि वह धारा-23 के अधीन पुष्टिकृत हो, होई परिवर्तन करे, तो वह सम्बद्ध खातेदार को जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23 मे एक पुनरीक्षित उद्धरण जारी करायेगा।

❖

धारा-23

प्राराम्भिक चकबंदी योजना की पुष्टि तथा प्रदेशन आज्ञाओं का जारी किया जाना-

(1) (क) यदि धारा 20 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत न की गई हो या

(ख) यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की गई हों, तो ऐसे पर परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात जो धारा-21 की उपधारा-1 से 4 तक के अधीन दी गई आज्ञाओं की ष्टि में रखते हुए आवश्यक हों, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी प्रारंभिक चकबंदी योजना की पुष्टि करेगा।

(2) इस प्रकार पुष्टिकृत प्रारंभिक चकबंदी योजना कटक में प्रकाशित की जाएगी तथा इस अधिनियम में अथवा इसके अधीन की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम होगी।

(3) (i) यदि धारा 19-क के अधीन किए गए प्रदेशनों को धारा-21 के अधीन परिष्कृत न किया जाए और उपधारा-1 के अधीन उनकी पुष्टि कर दी जाए तो धारा-20 के अधीन जारी की गई नोटिस में दिए गए उद्धरणों को सम्बद्ध खातेदारों के लिए इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन की व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम प्रदेशन आज्ञाएँ समझा जाएगा।

(ii) खण्ड-1 के अधीन ना आने वाले मामलों में पुनरीक्षित उद्धरण जिनमें उपधारा-1 के अधीन यथा पुष्टिकृत परिष्कृत प्रदेशन उल्लिखित होंगे-

(क) यदि प्रदेशन बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा परिष्त न किए गए हों तो चकबंदी अधिकारी द्वारा, और

(ख) यदि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने प्रदेशनों का परिष्कार किया हो तो उनके द्वारा जारी किए जाएंगे, और वे सम्बद्ध खातेदारों के लिए (इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए अंतिम प्रवेशन आज्ञाएं होंगी।

नियम 50 (धारा 23) -

(1) यदि धारा 21 के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणाम स्व–प प्रारंभिक चकबंदी योजना में ऐसे अनेक परिवर्तन

करने पड़े जिन्हें वर्तमान विवरण में सुगमता से समाविष्ट करना संभव ना हो, तो धारा-23 की उपधारा-2 के अधीन उसकी पुष्टि और उसके प्रकाशित होने के पूर्व उसकी एक स्वच्छ प्रति तथा कटक के नक्शे की एक प्रति जिसमें खातेदारों को प्रदिष्ट गाटे तथा सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अलग की गई भूमि की स्थिति दिखलाई गई हो तैयार की जा सकती है।

(2) बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा पुष्ट किए गए और धारा-23 की उपधारा-2 के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक चकबंदी योजना में सभी कटे हुए लेखों उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जिस पर लेख काटने और उपरिलेख के लिए दायित्व होगा और सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा संक्षिप्त हस्ताक्षर किए जाएंगे और दिनांक लिखा जाएगा। उन्हें जोत चकबंदी आकार-पत्र 6-ख में अशुद्धि पत्र में दर्ज किया जाएगा जिसे चकबंदी लेखपाल कार्बन की दो प्रतियों में तैयार करेगा। अशुद्धि पत्र पर चकबंदीकर्ता और सहायक चकबंदी अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और दिनांक लिखेंगे और उस की प्रतिलिपि मंडल के चकबंदी अधिकारी के पास उसके कार्यालय में अभिलेख के लिए भेजी जाएगी।

❖

धारा-24

योजना का प्रचलन, कब्जा और पेड़ों आदि के लिए प्रतिकर का दायित्व-

(1) बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वह दिनांक निश्चित करेगा की कटक में विज्ञापित होगा, तथा जिस दिनांक से अंतिम चकबंदी योजना प्रचलित होगी उक्त दिनांक को अथवा उसके पश्चात खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों पर कब्जा करने का अधिकार होगा ।

(2) अंतिम चकबंदी योजना के अंत कार्यान्वयन के अनुसरण में उसकों प्रदिष्ट गाटों में स्थित पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों को पाने वाला प्रत्येक खातेदार कब्जा पाने के दिनांक से उसके भूतपूर्व खातेदार को पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियो के लिए जो उसे प्रदिष्ट की गई हो, वहां पूर्व व्यवस्थित रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा और देगा।

नियम 54-क (धारा 24)-

धारा-24 के अधीन चकबंदी योजना लागू करने के लिए जो दिनांक निश्चित किया जाएगा उसके पूर्व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अपना या समाधान कर लेगा कि चकों की सीमा रेखाएं अंतिम चकबंदी योजना के अनुसार उचित रूप से निर्धारित कर दी गई हैं।

❖

धारा-28

कब्जा दिलाना-

(1) सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसे खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति के प्रार्थना पत्र पर जिसे अंतिम चकबंदी योजना के अंतर्गत चक या भूमियां प्रदिष्ट की गई हों (और जहां कोई भूमि राज्य सरकार को प्रदिष्ट की गई हो, वहां राज्य सरकार के किसी प्रार्थना पत्र के बिना उस दिनांक से जब उक्त योजना प्रचलित हुई हो छह मास के भीतर यथास्थिति खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति और राज्य सरकार को प्रदिष्ट चक या भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाएगा) और ऐसा करने में उसे वह सभी अधिकार जिसमें अवमान, प्रतिरोध तथा एसी अन्य बातों के संबंध में अधिकार भी हैं, प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल संपत्ति पर कब्जा दिलाने की डिक्री के निष्पादन में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं।

किंतु प्रतिबंध यह है कि जब तक की सहायक चकबन्दी अधिकारी उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाए यह निर्णय न करें कि फसल पर भी कब्जा दिलाया जाएगा, उपर्युक्त प्रकार से कब्जे का दिलाया जाना उक्त व्यक्ति के जिससे कब्जा संक्रमित किया गया हो, कब्जा दिलाने के दिनांक पर उक्तचक या भूमियों या उनके भाग पर खड़ी फसलों को पालने, पोसने और उन्हें एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़ेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रथम प्रतिबंधात्मक खण्ड के अनुसार खड़ी फसलों का पालन पोषण करें तथा उसे एकत्र करें तो उस व्यक्ति को जिसे चक या भूमियां प्रदिष्ट की गई हो, भूमि के प्रयोग के लिए ऐसी दर पर और रीति से प्रतिकर देगा, जो नियत की जाए।

(2) जिस दिनांक को खातेदार यह भूमि प्रबंधक समिति (या राज्य सरकार) प्रदिष्ट चक या भूमियों पर कब्जा करने की हकदार हो गई हो चाहे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी संशोधन अधिनियम-1962 के प्रचलित होने के पूर्व हो यह उसके पश्चात, उसके छह माह समाप्त हो जाने पर या उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक 6 मास समाप्त होने पर, जो भी दिनांक बाद में पड़े, यथास्थिति, खातेदारी या भूमि प्रबंधक समिति (या राज्य सरकार) के संबंध में जब तक कब्जा पहले ही न कर लिया गया हो, या समझा जाएगा की उसने प्रदिष्टचक या भूमियों पर वास्तविक रूप से कब्जा कर लिया हैं।

किंतु प्रतिबंध यह है कि या तथ्य की खातेदार या भूमि प्रबंधक समिति (या राज्य सरकार) ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है और उस व्यक्ति के जिससे कब्जा संक्रमित किया गया समझा जाए, उपयुक्त छह माह की अवधि समाप्त हो जाने के दिनांक को ऐसे चक या भूमियां अथवा उनके भाग पर खड़ी फसल को पालने पोसने और उसे एकत्र करने के अधिकार पर प्रभाव न डालेगा।

नियम 55 (धारा- 28)-

(1) खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समितियों को जैसे भी दशा हो उन्हें प्रदिष्ट किए गये चकों या भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने में सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा धारा 28 के अधीन उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा

जो डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 (अधिनियम सं0-5 वर्ष 1908) में नियत है।

(2) उस दिशा में अब ऐसे चको या भूमि या उसके भागों पर खड़ी फसल का पालन पोषण और उन्हें बटोरने का अधिकार उस व्यक्ति के पास रहे जिससे कब्जा हस्तांरित किया गया हो तो सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श से भूमि का उपयोग करने के लिए जोत चकबंदी आकार पत्र-32 में प्रतिकर की एक ऐसी धनराशि अवधारित करेगा जो फसल वाले क्षेत्र में लगानी मूल्य के तीन गुने से अधिक न हो तथा जो उस व्यक्ति को देय होगी, जिसे भूमि का कब्जा हस्तांतरित किया जाए वह दिनांक जब तक खड़ी फसल अवश्य काट ली जानी चाहिए और गाटा से हटा ली जानी चाहिए और वह दिनांक भी जब तक अवधारित प्रतिकर का अवश्य भुगतान कर दिया जाना चाहिए सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा। जोत चकबंदी आकार पत्र-32 में उद्धरण सम्बद्ध खातेदारों पर तामील किये जाएंगे।

स्पष्टीकरण- इस दशा में न तो कोई प्रतिकर अवधारित किया जाएगा और न उसका भुगतान किया जाएगा, यदि कब्जा देने के दिनांक और खड़ी फसल को काटने के लिए निश्चित दिनांक के बीज फसल बोने की कोई ऋतु ना हो।

(3) धारा-29 की उपधारा 1-क के अधीन प्रस्तुत अपीलों पर निर्णय हो जाने के पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी जोत चकबंदी आकार पत्र-35 में प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण पत्र प्रतिकर पाने वालों को जारी करेगा। वह भुगतान करने वाले व्यक्ति को भी जोत चकबंदी आकार पत्र-36 में नोटिस जारी करेगा।

❖

धारा-29

प्रतिकर-

(1) यदि धारा 28 के अधीन खड़ी फसलों पर भी कब्जा दिलाया जाए, तो सहायक चकबंदी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा जिसे कब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फसलों के संबंध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा।

(1-क) उपधारा-1 के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबंदी अधिकारी, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

धारा-29-क- प्रतिकर की वसूली-

(1) जब कोई खातेदार, जिससे इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की वसूली होना हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर

प्रतिकर न दे, तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति वसूली के लिए उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ कलेक्टर को ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाए इस आशय का प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि सरकार को दे माल गुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाय।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर धारा-24 अथवा 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, कब्जा पाने के दिनांक से 3 महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा ना किया गया हो, तो ऐसी धनराशि पर जो इस प्रकार अदा की गई हो, 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा।

धारा 29-क (क)- सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त भूमि दिए जाने के कारण मालगुजारी में कमी-

(1) यदि धारा 8-क के उपबंधों के अधीन सर्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त अंशदान में भूमि दिए जाने के फलस्व—प खातेदार की मूल जोत का क्षेत्रफल कम हो जाए तो उक्त जोत के लिए मालगुजारी सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा उस अनुपात में कम कर दी जाएगी जो अंश दान के —प में दिए गए क्षेत्र का उक्त जोत के कुछ क्षेत्रफल से हो और कम हुई मालगुजारी प्रारंभिक चकबंदी योजना में दिखाई जाएगी।

(2) उपधारा-1 के अधीन की गई कमी से क्षुब्ध कोई खातेदार धारा 20 के अधीन प्रारंभिक चकबंदी योजना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर 1950 ईस्वी (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1,1951) के जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मालगुजारी में कमी अवधारित किए जाने के लिए सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

धारा-29ख- सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त खातेदार द्वारा दी गई भूमि के लिए प्रतिकर-

(1) (क) प्रत्येक खातेदार को जिसकी जोत का कोई भाग इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक परिजनों के लिए दिया गया हो, इस प्रकार दी गई भूमि के लिए प्रतिकर दिया जाएगा, जो धारा 29-क के अधीन कम की गई मालगुजारी का-

(i) (अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर) की भूमि के विषय में 4 गुना, और

(ii) (अनंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर) की भूमि के विषय में दोगुना होगा।

(ख) इस प्रकार दी गई भूमि के भीतर पड़ने वाले पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के विषय में प्रतिकर की धनराशि धारा-19 के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान इस अधिनियम के अधीन क्रिया संबंधी व्यय को, यदि कोई हो, काटने के पश्चात नकदी में किया जाएगा।

(3) जब कोई भूमि, जिसके संबंध में उपधारा-1 के अधीन प्रतिकर का भुगतान किया जाए किसी आसामी के कब्जे

में हो तो यथास्थिति (अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर अथवा अंनतरणीय अधिकार वाले भूमिधर) को देय प्रतिकर में से उसका 5 प्रतिशत असामी को उक्त भूमि में उसके अधिकार आगम तथा स्वत्व के संबंध में दिया जाएगा।

धारा-29-ग- सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि का निहित होना-

(1) इस अधिनियम के अधीन सार्वजनिक परियोजनाओं के नियमित दी गई भूमि, उस दिनांक से जब खातेदार समय समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें प्रदिष्ट चकों पर कब्जा करने के हकदार हुए हो, (किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-117 लागू होती हो गांव सभा में और किसी अन्य क्षेत्र में राज्य सरकार में) निहित होगी और सदैव निहित ही समझी जायगी और उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होगी जिसके लिए वह अंतिम चकबंदी योजना में विनिर्दिष्ट की गई थी अथवा उक्त प्रयोंजन के ना रहने की दशा में ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होगी जो नियत किए जाएं।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या 1,1951) की धारा 117 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ (गांव सभा में निहित) ऐसी भूमि पर लागू होंगे मानो कि ऐसी भूमि उक्त धारा की उपधारा-1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आधार पर गांव सभा में निहित हो गई थी और मानो कि घोषणा इस धारा की उपधारा-1 में निर्दिष्ट उपयोगिता की शर्तों के अधीन रहते हुए की गई थी।

नियम-56 (धारा 29)-

(1) यदि सहायक चकबंदी अधिकारी यह निर्णय करें कि फसल पर कब्जा भी दिलाया जाए तो वह चकबंदी समिति के परामर्श से निम्नलिखित पर विचार करते हुए फसल का मूल्य निर्धारित करेगा।

क- फसल की दशा

ख- फल की अनुमानित उपज

ग- उपज का ऐसा अनुमानित मूल्य जिसके कटक में फसल काटने के समय मिलने की संभावना हो।

घ- ऐसी धनराशि जिसके हस्तान्तरण के दिनांक से फसल काटने के समय तक फसलों पर वह होने की संभावना हो।

(2) उपनियम-1 में उल्लिखित कूत सभी खातेदारों के सामने की जाएगी जब तक की वह ऐसी समान्य सूचना पर भी जो कटक में डूग्गी पिटवाकर दी जाएगी उपस्थित ना हुए हो।

(3) सहायक चकबंदी अधिकारी की आज्ञा से कूत का परिणाम जोत चकबंदी आकार पत्र-33 एवं 34 में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) निरसित

(5) उप नियम 3 के अधीन विवरण पत्रों के अंतिम हो जाने के पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी जोत चकबंदी आकार पत्र 35 में प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण पत्र प्रतिकर पाने वाले को देगा और जोत चकबंदी आकार पत्र-36 में उसकी सूचना प्रदाताओं को भी दी जाएगी।

नियम 56-क (धारा 28 ,29, एवं 29-क)-

(1) प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के किसी अन्य से रीति से प्रतिकर वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम-55 के उपनियम 3 का नियम-56 के उपनियम-5, जैसी भी दशा हो, के अधीन प्रदान किए जाने के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र इसमें अभिलिखित दिनांक से 2 वर्षों के भीतर मालगुजारी के बकाया के रूप में धनराशि को वसूली के लिए कलेक्टर को संबोधित एक प्रार्थना पत्र के साथ क्षेत्राधिकार युक्त तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर तहसीलदार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिकर या उसके किसी भाग शेष है या नहीं, प्रारंभिक जांच करेगा तत्पश्चात वह अपनी जांच के परिणाम को कलेक्टर की आज्ञा के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) जब कलेक्टर का ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात, आवश्यक समझे या समाधान हो जाए की प्रतिकर या उसके किसी भाग का प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है तो वह प्रतिकर के शेष को मालगुजारी के बकाया के —प में वसूल करने के लिए प्राधिकार देगा।

नियम 56-ख (धारा 28, 29 व 29क)-

प्रतिकर की वसूली के लिए किसी वाद या कार्यवाही में कलेक्टर को पक्षकार न बनाया जाएगा।

नियम 57 (धारा-29)-

(1) दखल दिहानी के बाद यथाशीघ्र सहायक चकबंदी अधिकारी जोत चकबंदी आकार पत्र 26 में बने प्रमाण पत्र की बाहरी पत्रक पेड़ों कुओं व इमारतों तथा अन्य उन्नति के कार्यों के लिए प्रतिकर पाने वालों को दिलाएगा। प्रमाण पत्र में प्रतिकर देने वाले का नाम प्रतिकर की धनराशि और संपत्ति का जिसके नियमित प्रतिकर दिया जाएगा विवरण होगा।

(2) पेड़ों कुओं व इमारतों तथा अन्य समुन्नतियों के कार्यों के लिए प्रतिकर देने की नोटिस भी जोत चकबंदी आकार

पत्र 26 में बने बाहरी-पत्रक पर प्रत्येक प्रतिकर देने वाले को दिया जाएगा और उसमें पाने वाले का नाम दिए गए प्रतिकर की धनराशि और उस संपत्ति का जिसके लिए प्रतिकर दिया जाएगा, विवरण होगा।

(3) प्रमाण पत्र और सूचनाओं का विवरण हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र जोत चकबंदी आकार-पत्र 26 के भीतरी पत्रक अधिक्षेत्र युक्त तहसीलदार को दे दिये जाऐगे।

(4) नियम 56-क के उपबन्ध, जोत चकबंदी आकार पत्र 26 में उल्लिखित प्रतिकर की वसूली पर लागू होंगे, मानो की वह नियम-55 या 56 के अधीन देय प्रतिकर था और मानो की जोत चकबन्दी आकार पत्र 26 पर नियमों में उल्लिखित प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण पत्र था।

(5) संशोधित प्रयोजनों के लिए भूमि का अंशदान करने के निमित खातेदारों को दे प्रतिकर की धनराशि जैसी की वह जो चकबंदी आकार पत्र 23 में अवधारित की गई हो, कब्जा प्रदान करने के पश्चात शीघ्र ही नियम 61 के अधीन तैयार किए गए जोत चकबंदी आकार पत्र 27 में मांग व वसूली की जमाबंदी में अवधारित चकबंदी के व्यय में संधानित कर दी जाएगी। ऐसी दशाओं में जिनमें खातेदारों द्वारा चकबंदी का कोई व्यय देय न हो अथवा प्रतिकर की धनराशि चकबंदी व्यय से अधिक हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी खातेदारों को अधिक प्रतिकर की धनराशि नकद देगा और जोत चकबंदी आकार पत्र 26-क में भुगतान का अभिलेख रखेगा।

❖

धारा-30

वे परिणाम जो कब्जा बदलने पर होंगे- उस दिनांक से जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई खातेदार अपने को प्रदिष्ट चक पर उसने कब्जा कर लिया है, निम्नलिखित परिणाम होंगे-

क- निम्नलिखित के अधिकार आगम, स्वत्व और दयित्व अपनी-अपनी मूल जोतो में में समाप्त हो जाएंगे-

1- व खातेदार जो कब्जा करे या जिसके संबंध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया है और

2- चक में सम्मिलित गाटों का पूर्ववर्ती खातेदार, और

ख- उस खातेदार के जो कब्जा करें या जिस के संबंध में यह समझा जाए कि कब्जा कर लिया है, अपने चक में वही अधिकार, आगम, स्वत्व और दायित्व होंगे जो उसकी अपनी मूल जोत में थे और उसे ऐसे निजी स्रोत से, जब तक की वह स्रोत विद्वमान रहे, सिंचाई की सुविधाएं भी प्राप्त रहेंगी, जो चक मे समलित गाटों के पूर्ववर्ती खातेदार को उन गाटों के संबंध में प्राप्त थी,

ग- उन भूमियों के संबंध में जो गांव सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो और जो खातेदार को प्रदष्टि

की गई हो यह समझा जायेगा कि वे राज्य सरकार द्वारा 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम की यथास्थिति धारा 117 या धारा 117-क के उपबन्धो के अधीन वापस ले ली गई है और उनका बंदोबस्त खातेदार के साथ कर दिया गया है।

घ- धारा 19-क की उपधारा-2 के प्रतिबंधात्मक खण्ड के अधीन किए गए प्रख्यापन के बाद चक में सम्मिलित भूमि में या भूमि पर जनसाधारण तथा सभी व्यक्ति-विशेषों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और वे अंतिम चकबंदी योजना में इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट भूमि में सृजित हो जाएंगे, और

ङ- उस खातेदार की जो कब्जा करे या जिस के संबंध में यह समझा जाए कि उसने कब्जा कर लिया, मूल जोत पर भार, यदि कोई हो, चाहे वह पट्टा या बंधक के रूप में हो या अन्य प्रकार हो, उस जोत के संबंध में समाप्त हो जाएगा। और वह उन जोतो पर या उनके ऐसे भागों पर हो जाएगा जो अंतिम चकबंदी योजना में उसे निर्दिष्ट किया जाए।

❖

खण्ड-ख

भाग-3

खण्ड-ख

भाग-3

अंतिम अभिलेख (जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 एवं 45 तथा अंतिम भूचित्र) का निर्माण एवं अंतिम प्रकाशन तथा धारा-52(1) के प्रकाशन के बाद धारा-52(2) के प्रावधान में पारित आज्ञाओं/आदेशों का अनुपालन किया जाना।

❖

धारा 27

नये माल अभिलेख-

(1) अंतिम चकबंदी योजना के प्रचलित होने के पश्चात यथासंभव शीघ्र जिला उपसंचालक चकबंदी धारा-7 के अधीन यथा संशोधित नक्शों, खसरा, चकबंदी तथा धारा-10 के अधीन तैयार किए गए वार्षिक रजिस्टर के इंद्राजों और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अंतिम रूप से दी गई तथा जारी की गई प्रदेशन आज्ञाओं के आधार पर प्रत्येक गांव के लिए चकबंदी क्षेत्र का नया नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार कराएगा। उक्त नक्शों और अभिलेखों को तैयार करने में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट-1901 (यू0पी0 एक्ट सं0-3 सन् 1901) के उपबंधों का ऐसे परिष्कारों तथा परिवर्तनों के अधीन रहते हुए जो नियत किए जाएं, अनुसरण किया जाएगा।

(2) उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए अधिकार अभिलेखों की सभी प्रविष्टियाँ ठीक मानी जाएंगी जब तक उनके विरूद्ध प्रमाणित न कर दिया जाए।

(3) धारा-52 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात कलेक्टर अपने द्वारा पहले रखे जाने वाले नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के स्थान पर उपधारा-9 के अनुसार तैयार किए गए नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख रखेगा और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-28 और 33 के उपबंध यथा स्थिति, ऐसा नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख रखे जाने और उन्हें शुद्ध किये जाने के संबंध में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट-1901 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

नियम 67 (धारा 27)-

उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम-1901 (अधिनियम सं0-3, वर्ष 1901) के अध्याय 4 के निर्देश और उसके अधीन बनाए गए नियम जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हों या उनके अंतर्गत न आते हो अधिनियम की धारा-27 के अधीन गांव का नया नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए लागू ना होंगें।

नियम 68 (धारा 27)-

यदि किसी गांव का कोई क्षेत्र किसी दूसरे गांव की सीमा के भीतर स्थित हो तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 (अधिनियम सं0-1, वर्ष 1951) की धारा-3 (25) के अधिन सरकार की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात यदि वह पहले ही प्राप्त न कर ली गयी हो, उक्त क्षेत्र को दूसरे गांव में मिलाने के लिए कार्यवाही करेगा।

नियम 71 (धारा-27 और 54)-

(1) बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अंतिम चकबंदी योजना प्रवृत होने के पश्चात, किंतु धारा-52 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व भूमिधरों तथा सीरदारों को प्रदिष्ट चकों, जिसके अंतर्गत असामियों को उपचक भी है तथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संरक्षित भूमि की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सीमा स्तंभ लगावाएगा।

(2) सीमा खंभे और उन्हें लगवाने की लागत जैसे बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा समय-समय पर प्रत्येक इकाई (यूनिट) के लिए अवधारित की जाए प्रत्येक संम्बद्ध पार्श्ववर्ती जोतदार द्वारा देय होगी। कलेक्टर इस प्रकार अवधारित लागत को संम्बद्ध खातेदारों से मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल करेगा।

(3) सीमा खम्भों और उन्हें लगवाने की लागत की जमाबन्दी जोत चकबन्दी आकार पत्र 27-ख में दो प्रतिलिपियों में तैयार की जायेगी। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी जाँच कर किए जाने के पश्चात वह बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के माध्यम से अधिक्षेत्रयुक्त तहसीलदार को मालगुजारी की बकाया की भाँति वसूल करने के लिए दे दी जायेंगी।

नियम-82 (धारा-27) - चकबन्दी लेखपाल इस बात को सुनिश्चित करेगा किः

(1) चकों

(2) चक्र के अन्तर्गत असामी को प्रदिष्ट किये हुए क्षेत्र, और

(3) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अलग की गई भूमि की सीमायें नक्शे पर अन्तिम चकबन्दी योजना के अनुसार ठीक-ठाक दिखाई गई हैं। मालूम हुई अशुद्धियाँ चकबन्दीकर्ता को संशोधन के निमित्त बताई जानी चाहिए।

नियम-83 (धारा-27)-

लेखपाल नक्शे में दिखाये हुए प्रचलित चिन्हों की जाँच भी करेगा और ऐसे सभी चिन्हों के सम्बन्ध में जो इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये हैं, आवश्यक संशोधन करेगा।

नियम-85 (धारा 27)-

(1) उपर्युक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार नक्शे को अद्यावधि कर लेने के पश्चात उसके आधार पर गाटों की पुनः परिगणना की जायेगी। प्रत्येक चक की एक क्रम संख्या होगी, यदि वह प्रातिक या भौतिक अवरोध द्वारा भागों में न बाँट दिया गया हो और ऐसी दशा में प्रत्येक भाग की अलग से परिगणना की जायेगी। चक के अन्तर्गत आने वाले भूमिधरी और सीरदारी भाग क्षेत्रों को जिनकी एक क्रम संख्या हो, नक्शों में छोटे-छोटे डैशों में निर्मित रेखा द्वारा दिखाया जायेगा। नक्शे में भूमिधरी और सीरदारी क्रमशः अक्षर (अ) और (ब) द्वारा दिखाया जायेगा। चक के भीतर असामी की जोत को भी इसी प्रकार दिखाया जायेगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में नक्शों में शब्द (अ-स) और (ब-स) क्रमशः मूल खातेदार की जोत भूमिधरी या सीरदारी भागों में धृत असामी-अधिकारों को दिखाने के लिए लिखे जायेगे।

(2) उपनियम (3) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए गाटों की पुनः परिगणना पूरे राजस्व गाँव के लिए एक क्रम से की जायेगी। यह गाँव के उत्तर-पश्चिम के कोने से आरम्भ होगी और दक्षिण पूर्व कोने में समाप्त की जायेगी। पुनः परिगणना करने में कूदान न किये जाने चाहिये, किन्तु यदि कोई कुदान हुए हों, तो नक्शे के पार्श्व में उनके सम्बन्ध में एक टिप्पणी दी जायेगी।

(3) जहाँ चकबन्दी क्षेत्र गाँव का केवल एक भाग हो, तो इसकी पुनः परिगणना दूसरे भाग में जिसमें गैर-चकबन्दी क्षेत्र हों, अलग की जायेगी। गैर-चकबन्दी क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थिति की सूचना, सचिव, राजस्व परिषद को ऐसी कार्यवाही के लिए जो वह आवश्यक समझे दी जायेगी।

(4) जहाँ नगर क्षेत्र से भिन्न कोई ऐसा अन्य क्षेत्र, जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एव भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950 (अधिनियम सं0-1 वर्ष 1951) लागू न होता हो, चकबन्दी के अधीन गाँव स्थित हो, तो पुनः परिगणना पूरे राजस्व गाँव में एक क्रम से की जायेगी।

नियम-86 (धारा 27)-

नियम 82, 83 और 85 तक के अनुसार लेखपाल द्वारा किये गये कार्य की शत-प्रतिशत चकबन्दीकर्ता और 25 प्रतिशत कार्य की सहायक चकबन्दी अधिकारी जाँच करेगा। चकबन्दी अधिकारी भी अपना यह समाधान करने के लिए कि कार्य ठीक-ठाक किया गया है, उसकी जाँच करेगा।

नियम-90 (धारा 27) -

(1) तत्पश्चात् चकबन्दीकर्ता अन्तिम नक्शा तैयार करायेगा, जिसमें केवल नई संख्यायें, उनकी सीमायें और जहाँ आवश्यक हो, प्रचलित चिन्ह दिये रहेंगे। इसकी जाँच चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व की जायेगी। जिसके पद, नाम का उल्लेख उसके हस्ताक्षर के नीचे किया जायेगा। इस प्रकार तैयार किये गये अन्तिम नक्शे की प्रतियाँ उतारे जाने के पश्चात, जैसा कि उपनियम (2) में निर्धारित है, वह प्रेस को प्रतिति करने के लिए भेजा जायेगा, यदि नियम-101 के उपबन्धों को देखते हुए प्रतिति करना आवश्यक हो। प्रेस से प्राप्त होने पर अन्तिम नक्शा कलेक्टर के अभिलेख कक्ष के लिए अभिप्रेत चकबन्दी संग्रह में रखा जायेगा।

(2) अन्तिम नक्शे की दो प्रतियाँ उतारी जायेंगी। इन प्रतियों में नये गाटों के भीतर विद्यमान पुराने गाटों की सीमायें बिन्दु-रेखाओं से दिखाई जायेंगी, जिनमें पुराने गाटों की सीमायें नहीं दी जायेंगी। इन नक्शों में वर्तमान मिट्टी के वर्गों को भी मोटी लाल रेखाओं से चिन्हांकित किया जायेगा। विभिन्न मिट्टी के वर्गों को उपयुक्त अल्पाक्षरों द्वारा वर्णित किया जायेगा और प्रत्येक प्रकार की मिट्टी पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में लिखा जायेगा इस प्रकार उतारी गई प्रतियों की जाँच बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा जाँच और हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इस नक्शे की एक प्रति नियम-100-क में उल्लिखित दो चकबन्दी संग्रहों में से प्रत्येक में रखी जायेगी।

नियम-93 (धारा 27) -

चकबन्दीकर्ता तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पुनः परिगणना और जाँच समाप्त हो जाने के पश्चात लेखपाल जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 में नई संख्याओं के अनुक्रम में तुलनात्मक खसरा (खसरा मुताबिकात) दो प्रतियों में तैयार करेंगे जिसमें भूमि श्रेणियों के भी ब्यौरे दिये जायेंगे।

नियम-97 (धारा 27) -

चकबन्दी लेखपाल, खसरा मुताबिकात और धारा 27 के उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य संगत अभिलेखों की सहायता से जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में, दो प्रतियों में खतौनी तैयार करेगा।

नियम-98 -

चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार किये गये खसरा मुताबिकात और जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में खतौनी की चकबन्दीकर्ता द्वारा शत-प्रतिशत जांच की जायेगी। इन अभिलेखों में से 25 प्रतिशत प्रविष्टियों की सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा और 5 प्रतिशत की चकबन्दी अधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी। तत्पश्चात् जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में खतौनी गाँव में प्रकाशित की जायेगी।

नियम-99 (धारा 27) -

खतौनी के तैयार हो जाने के पश्चात तुलनात्मक खसरे के स्तम्भ-5 में नई खाता संख्यायें लिखी जायेंगी।

नियम-100 (धारा 27) -

खसरा मुताबिकात तथा खतौनी के सभी कटे हुए लेखों अथवा उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जो उन्हें काटने और उपरिलेखों के लिए उत्तरदायी हों, और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किये जायेंगे और दिनांक डाला जायेगा। कहीं पर कोई लेख मिटाया नहीं जायेगा। उपरिलिखित प्रत्येक अभिलेख के सम्बन्ध में एक अशुद्धि पत्र जोत चकबन्दी आकार पत्र 6-ख में तैयार किया जायेगा और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इस पर सहायक चकबन्दी अधिकारी भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसी सूची पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् अभिलेखों को प्रत्येक प्रति के साथ उसकी जिल्द वांछित समय पर नत्थी की जायेगी।

नियम-100-क (धारा-27) -

चकबन्दी ग्रन्थ संग्रह में अन्तिम ग्राम नक्शे के साथ खसरा मुताबिकत और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 45 में खतौनी होगी। ऐसे दो संग्रह तैयार किये जायेंगे, उनमें से एक कलेक्टर के अभिलेख कक्ष में रखा जायेगा और दूसरा लेखपाल को देने के लिए तहसीलदार को दिया जायेगा। तत्पश्चात चकबन्दी संचालक धारा-52 के अधीन गाँव की विज्ञप्ति करने की कार्यवाही करेगा।

नियम-101 (धारा 27) -

(1) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी यथाशीघ्र एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें जनता के ऐसे व्यक्तियों को, जो गाँव के नक्शों की प्रतिलिपियाँ, जिनकी यांत्रिक साधनों से उतारने का प्रस्ताव है, मोल लेना चाहते हो, यह सूचना दी जायेगी कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा नियत किये जाने वाले दिनांक तक प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दें। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी उक्त नोटिस में प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए निश्चित किये गये मूल्य का भी उल्लेख करेगा।

(2) नियम-90 के अधीन तैयार किये गये नक्शे में निम्ननिखित संख्या में यांत्रिक साधनों से प्रतिलिपियाँ उतारी जायेंगी।

(क) माल तथा भूमि अभिलेख दो छाया मुद्रित प्रतिलिपियां, छः कपड़े पर और चार के प्रयोजनों के निमित कागज पर उतारी हुई प्रतिलिपयाँ।

(ख) बिक्री के निमित्त कपड़े पर उतारी हुई चार प्रतिलिपियाँ या यदि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी स्थान की आवश्यकता पर विचार करके इस से अधिक प्रतिलिपियों के संबंध में निर्णय करें तो तो अभी जो मांगी हुई

प्रतिलिपियों की वास्तविक संख्या के अतिरिक्त होगी।

(3) नियम 90 के अधीन तैयार किया गया नक्शा दो छाया मुद्रित प्रतिलिपियों के सहित भूमि अभिलेखों के संचालन के पास भेजा जाएगा।

नियम 101-क (धारा 27) -

नियम 90 के अधीन तैयार किए गए अंतिम नक्शे की प्रतियों में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वर्तमान मिट्टी के वर्गो को मोटी लाल रेखाओं से चिन्हित कराएगा। विभिन्न मिट्टी के वर्ग अल्पाक्षरों द्वारा वर्णित किए जाएंगे और प्रत्येक प्रकार की मिट्टी पर लाल स्याही से मोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे चकबंदीकर्ता तथा सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा नक्शे की जांच तथा उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी भी नक्शे की जांच करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

नियम-104 (धारा-27)- संयुक्त चकबन्दी योजना का आकार पत्र में तैयार कराया जाना -

(1) यदि किसी ऐसे क्षेत्र के लिए जिसमें एक से अधिक गांव सम्मिलित हों संयुक्त चकबंदी योजना तैयार की गई हो तो सहायक चकबंदी अधिकारी जोत चकबंदी आकार पत्र-44 में एक विवरण पत्र तैयार कराएगा जिसमें निम्नलिखित दिखाए जाएंगे -

(क) प्रत्येक ऐसे गांव में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अंतर्गत किसी खातेदार से सम्बन्धित मालगुजारी और आना मूल्यांकन,

(ख) प्रत्येक ऐसे गांव में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अंतर्गत ऐसी खातेदार के लिए प्रतिष्ठित किया गया आना मूल्यांकन,

(ग) प्रत्येक ऐसे गांव में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अंतर्गत खातेदार द्वारा भविष्य में देय मालगुजारी जो इस सिद्धान्त के अनुसार लगाई गई हो कि ऐसी मालगुजारी का ऐसे सभी गांव में भौमिक अधिकार के उक्त वर्ग के अंतर्गत अदा की गयी मालगुजारी के योग के साथ वही अनुपात होगा जो उस गांव में उस भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत प्रदिष्ट किए गये आना मूल्यांकन के योग के साथ हैं जो ऐसे सभी गांव में उसी वर्ग के अंतर्गत प्रदिष्ट किया गया है।

नोट- केवल ऐसे गांव के जो चकबंदी के अंतर्गत हों आना मूल्यांकन का हिसाब लगाया जाएगा।

(2) उक्त विवरण पत्र की शत प्रतिशत जांच चकबंदीकर्ता द्वारा 20 प्रतिशत जांच सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा और 5 प्रतिशत जांच चकबंदी अधिकारी द्वारा की जाएगी इसके बाद विवरण पत्र में प्रकाशित किया जाएगा यदि कोई संबद्ध व्यक्ति इसके किसी इंद्राज पर इसके प्रकाशन के दिनांक के 10 दिन के भीतर आपत्ती करें तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा विवरण पत्र की पुष्टि को बाधित ना करते हुए सहायक चकबंदी अधिकारी

उसकी सुनवाई और अन्तिम रूप से उसका निर्णय करेगा।

(3) बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा जोत चकबंदी आकार पत्र-44 से बने विवरण पत्र की पुष्टि हो जाने पर शीघ्र ही प्रत्येक ऐसे गांव के लिए नियम-97 के अनुसार तैयार की गई खतौनी में तदनुसार इंद्राज किए जाएंगे।

नियम-109 (धारा-27)-

किसी गांव के संबंध में गांव के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई चकबंदी योजना जोत चकबंदी आकार पत्र-23-क (भाग-1 और 2) को उपसंचालक चकबंदी को विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ खसरे तथा गांव के रजिस्टर की जिस पर अवधारित हो प्रतियां और गांव के नक्शे की एक प्रति भी रहेगी जिसमें चकबंदी योजना में समाविष्ट प्रस्तावों के ब्यौरे दिए जाएंगे।

❖

धारा 52

चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति-

(1) धारा-27 की उपधारा-1 के अधीन नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में इस आशय की विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि कटक में चकबंदी क्रियायें समाप्त कर दी गई हैं और तदुपरांत उक्त कटक के गांव चकबंदी के अधीन नहीं रहेंगे।

किंतु प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किए जाने से इस अधिनियम के अधीन क्रियाओं के व्यय को निश्चित करने, बांटने और वसूल करने के राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[(1-क) उपधारा-1 के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति किसी ऐसे दैनिक समाचार पत्र में भी जिसका क्षेत्र में प्रचलन हो और ऐसी अन्य रीति से जैसी उचित समझी जाए प्रकाशित की जाएगी।]

(2) उपधारा-1 में किसी बात के होते हुए भी भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई लेख याचिकाओं के मामले में या उपधारा-1 के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित किए जाने के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन विचाराधीन मामलों या कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई आज्ञायें ऐसे प्राधिकारियों द्वारा, जो नियत किए जाएं, कार्यान्वित की जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए चकबंदी क्रियाओं के विषय में यह समझा जायेगा कि वे समाप्त नहीं हुई हैं।

(3) जहां धारा 23 के अधीन चकबंदी योजना के अंतिम हो जाने के पूर्व षि भूमि के प्रदेशन या पट्टा का निरसन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम -1950 की धारा-198 की उपधारा-4 के अधीन

आदेश द्वारा किया जाता है और वह आदेश अंतिम हो जाता है वहां इस अधिनियम के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे आदेश को निम्नलिखित रीति से ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जो नियत किए जाएं कार्यान्वित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए चकबंदी-क्रिया को समाप्त नहीं समझा जाएगा अर्थात-

(क) ऐसे प्रदेशन या पट्टे की विषयगत भूमि के मूल्यांकन को नियत रीति से पहले सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) चकबंदी कार्य से संबंद्ध खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के कुल मूल्य में से खंड-क में अभिदिष्ट मूल्यांकन को कम कर दिया जाएगा।

(ग) चकबंदी कार्यवाही के दौरान खातेदार उक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर भूमि का हकदार होगा।

धारा-52 (क) - चक-मार्गों तथा चक-गूलों के लिए विशेष व्यवस्था-

(1) किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा-52 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो, धारा 52 में दी गई प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलेक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि कटक में चक-मार्गों या गूलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है तो उपधारा (2) के अधीन कार्य कर सकता है और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक के छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम से कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाय तो उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही करेगा।

(2) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही के प्रस्ताव की और उपधारा (1) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, यदि कोई हो, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा, और किसी चकबंदी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों को, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हो, की इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्तियुक्त कदम उठाने और मामले में ऐसी अन्य जाँच कराने जिसे वह उचित समझे, का निर्देश देगा।

(3) ऐसा चकबंदी-अधिकारी कटक में चक-मार्गों या चक-गूलों की व्यवस्था करने का या जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को एक रिपोर्ट देगा और कलेक्टर उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा।

(4) तदुपरान्त सहायक चकबंदी-अधिकारी कटक के उतने खातेदारों को, जितना वह व्यवहारगम्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात् नियत प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें चक-मार्गों या चक-गूलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबंदी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्-

(क) जहाँ तक व्यवहारगम्य हो, चक-मार्गों और चक-गूलों की व्यवस्था प्रथमतः गाँव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से, जिनके चक प्रस्तावित चक-मार्गो या चक-गूलों से सम्बन्धित हों, और अन्ततः किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिए।

(ख) चकों का पुनर्व्यव्यवस्थापन केवल उस सीमा तक, जहाँ तक चक-मार्गों तथा चक-गूलों की व्यवस्था करने के लिए वास्तविक रूप में आवश्यक हो, और पहले से ही पुष्टीकरण चकबंदी-योजना में कम से कम व्यतिक्रम किये बिना, किया जाना चाहिए।

(5) उपधारा (4) के अधीन तैयार की गयी योजना का प्रारूप कटक मे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर चकबंदी-अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति कर सकता है।

(7) (क) चकबंदी-अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(ख) खण्ड-क के अधीन चकबंदी-अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के समक्ष अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबंदी-अधिकारी और खण्ड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खण्ड (क) के अधीन चकबंदी अधिकारी ओर खण्ड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के लिए उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपधारा (4) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना और बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी के लिए उसे चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी-अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, प्रतिप्रेषित करना, वैध होगा।

(8) बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी-

(क) यदि उपधारा (6) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय, या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियाँ प्रस्तुत की जायँ तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तन के पश्चात् जो उपधारा (7) के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, योजना की पुष्टि कर देगा।

(9) उपधारा (8) के अधीन पुष्टीकृत-योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जोयगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी और तदुपरान्त धारा 23 के अन्तिम रूप से बनी चकबंदी योजना और दी गयी प्रदेशन

आज्ञाएँ योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेंगी और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा नयी प्रदेशन आज्ञाएँ जारी की जायेंगी।

(10) अध्याय 4 के उपबन्ध उक्त योजना क सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अन्तिम चकबंदी-योजना के सम्बन्ध में लागू होते हैं और अध्याय 4 को लागू किये जाने के प्रयोजन के लिए, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक-मार्गों और चक-गूलों के लिए दी गयी भमि धारा 8-क के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी गयी भूमि समझी जायेगी।

नियम- 109 क [धारा 52(2)] -

(1) धारा-52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में दी गई आज्ञाएँ धारा-42 की उपधारा (2) के अधीन चकबंदी अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। ऐसे प्रधिकारी के न होने की दशा में परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर, कानूनगो, मामलों से सम्बद्ध क्षेत्र के लेखपाल उपर्युक्त आज्ञाओं को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी, चकबन्दीकर्त्ता तथा चकबन्दी लेखपाल के कृत्यों का निर्वहन तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) यदि उपनियम (1) में अभिदिष्ट किसी आज्ञा को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये प्रभावित चकों का पुनः प्रदेशन करना आवश्यक हो जाय, तो चकबन्दी अधिकारी या तहसील जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई अवसर देने के पश्चात् आवश्यक आज्ञायें दे सकते हैं।

(3) चकबंदी अधिकारी या तहसीलदार, जैसी भी दशा हो, की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन दी गई आज्ञा के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) या परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर, जैसी भी दशा हो, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपील पर निर्णय देगा, जो अन्तिम होगा।

(4) यदि उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन की गयी आज्ञाओं के परिणामस्वरूप कब्जा देना आवश्यक हो जाय, तो नियम-55 और 56 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

नियम-114 (धारा 52-क) -

यदि चक-मार्गों या चक-गूलों की व्यवस्था करने के लिए चकों का पुर्नव्यवस्थापन करना आवयश्यक हो जाय तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, ग्राम सभा में निहित किसी जोत या भूमि के ऐसे गाटों या गाटों के भागों जिन पर ऐसे पुर्नव्यवस्थापन से प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, का विनिमय अनुपात गाटा या गाटों की उत्पादकता, स्थिति और वर्तमान मिट्टी के वर्ग को सुनिश्चित करके और गाँव के उतने खातेदारों के साथ, जितने वह एकत्र कर सके, स्थल पर जाकर सत्यापन अवधारित करेगा। इस प्रकार अवधारित किया गया विनिमय

अनुपात जोत चकबन्दी आकार पत्र-23-ख, भाग-1 के स्तम्भ-4 व जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख भाग-2 के विवरण के स्तम्भ-12, जैसी भी स्थिति हो में उल्लिखित किया जायेगा।

नियम-115 (धारा-क) -

खातेदार को देय प्रतिकर को धनराशि जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, की गणना जोत चकबन्दी आकार पत्र 23-ख, भाग-3 में की जायेगी।

नियम-116 (धारा 52-क)-

(1) नियम 113 में अभिदिष्ट योजना का प्ररूप जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख (भाग-1) और जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ख भाग 2 में तैयार किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई योजना का प्रारूप तब धारा-3 (8) के अनुसार, गाँव में प्रकाशित किया जायेगा। योजना के प्रारूप का संगत उद्धरण, यथास्थिति सम्बद्ध खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किये जायेंगे।

नियम-117 (धारा 52-क) -

धारा 52-क की उपधारा (8) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा योजना की पुष्टि किये जाने के पश्चात् यह धारा-3 की उपधारा (8) के अनुसार प्रकाशित की जायेगी और प्रदेशन आदेश, जोत चकबन्दी आकार-पत्र 23-ग में, यथास्थिति सम्बद्ध खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किये जायेंगे।

नियम-118 (धारा-52-क) -

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा धारा 52-क की उपधारा (8) के अधीन परिष्कृत योजना को लेखपाल द्वारा नियम-113 के उपनियम (2) मे बताई कई रीति से चालू नक्शे और अभिलेखों में प्रभावी किया जायेगा। चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी, लेखपाल द्वारा की गयी प्रविष्टियों की जाँच करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा।

❖

उद्देश्य

कृषि प्रधान प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 (एक्ट सं0–1/1951) दिनांक 01.07.1952 से लागू होने के साथ–साथ एक नए अधिनियम की भी आवश्यकता महसूस की गयी, जिससे कृषकों की जोतों को संहत करके नवीन अधिकार अभिलेखों के निर्माण, सिंचाई, आवागमन, मार्ग एवं सार्वजनिक विकास के कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 (एक्ट सं0–5 ऑफ 1954) (The U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953) विधायिका द्वारा पारित किया गया। इसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में चकबन्दी क्रियायें प्रचलित एवं पूर्ण की जा रही हैं।

एक तरफ उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम–1953 के क्रियान्वयन में लगे हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अधिनियम को सही भावना से लागू करने, कार्यपद्धति में एकरूपता लाने तथा प्रक्रियात्मक कार्य में पारदर्शिता के लिए एवं दूसरी तरफ कृषकों/खातेदारों को निःशुल्क एवं सरल व त्वरित प्रक्रिया द्वारा उनकी जोतों के विभाजन, अधिकार, स्वत्व, अन्तरण एवं नए चकों के सृजन तथा नये चकों पर कब्जा दिलाने के उद्देश्य से अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबन्धों, नियमों एवं निदेशालय से निर्गत परिपत्रों को संकलित करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया जा रहा है।

"चकबन्दी कर्मियों के लिए हस्त पुस्तिका" (Handbook for Consolidation Practitioners) नामक इस पुस्तक में जोत चकबन्दी अधिनियम–1953, के महत्वपूर्ण उपबन्धों, नियमों तथा परिपत्रों को एक साथ संकलित कर देने से जहाँ कार्य करने में सुगमता व एकरूपता स्थापित होगी वहीं विभाग के वर्तमान एवं नवागंतुक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए यह पुस्तिका मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

इस पुस्तिका में उपलब्ध सामग्री का उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारी, पेशकार व अन्य लिपिक वर्ग के द्वारा भली प्रकार अध्ययन किया जाना वांछनीय है। यह हस्त पुस्तिका चकबन्दी अधिनियम व अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों के अनुरूप कृषकों/खातेदारों के सरल तथा राजकीय हित में त्वरित कार्यवाही करके उन्नतशील कृषि के लक्ष्य को प्राप्त करने में, कृषकों को अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाने में तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि की रक्षा एवं संवर्धन में सहायक होगी। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश के समस्त कृषकों को समर्पित।

डॉ. रजनीश दुबे
चकबन्दी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

: कार्यालय :

चकबन्दी आयुक्त, 7वाँ तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

फोन : 0522-2287072, 2287074

ई-मेल : chakbandiayukt@gmail.com

वेबसाइट : upconsolidation.gov.in/hi

Printed by : Vikas Printing Press, C-2, Arif Chamber, Vikas Nagar, Lko. Mob. : 9450397453